

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2021—कार्तिक 7, शक 1943

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय, कटनी विकास प्राधिकरण, कटनी, मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक-07, कटनी, जबलपुर रोड, शांतिनगर, कटनी

कटनी, दिनांक 18 अक्टूबर 2021

नगर विकास योजना बनाये जाने बावत

क्रमांक 205/KDA/मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-50 (1) के अंतर्गत एतद्वारा सर्व-साधारण की सूचना हेतु प्राधिकरण की झिंझरी में प्रस्तावित आवासीय सह वाणिज्यिक योजना क्रमांक 1-A, 1-B एवं 1-C के क्रियान्वयन हेतु योजना की मंशा की घोषणा की जाती है जो कि नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण की योजना क्रमांक 1-A, 1-B एवं 1-C के नाम से जानी जावेगी. उक्त विकास योजना निम्न विवरण में दर्शाए अनुसार क्षेत्र में बनाई जाना है. जिसकी चतुर्सीमा का विवरण निम्नानुसार :—

ग्राम झिंझरी, नं. बंदोबस्त 223, प.ह.न. नम्बर 29, रा.नि.मा. मुडवारा-2, तहसील कटनी, जिला कटनी के खसरा नम्बर 691, 692, 699, 700, 703, 704, 705/1, 722/1क, 722/1ख एवं 723 जिनका रकबा क्रमशः 0.03, 3.29, 2.90, 0.52, 1.29, 0.71, 28.70, 24.36, 6.28 एवं 2.52 कुल रकबा 70.60 हैक्टेयर शासकीय भूमि जो कि विकास प्राधिकरण को आवंटित है, का सीमांकन किया गया. जिसकी चौहदी निम्नानुसार है :—

उत्तर दिशा में—खसरा नम्बर 622 शासकीय नहर, खसरा नम्बर 697 शासकीय नाला, खसरा क्रमांक 698, 693, 994, 695, 696, 989, 690 एवं शासकीय भूमि से लगी हुई है.

दक्षिण दिशा में—शासकीय भूमि खसरा नम्बर 739, 748/1, 722/1ड, 722/1ट, 722/1ज, 722/1च से लगी हुई है.

पूर्व दिशा में— 657/1, 668, 702/2, 708/2 तथा खसरा क्रमांक 765 राष्ट्रीय राज मार्ग-7 से 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718 से लगी हुई सीमा.

पश्चिम दिशा में—ग्राम गुलवारा की भूमि एवं खसरा क्रमांक 730 तथा 724, 731 ग्राम झिंझरी से लगी हुई भूमि.

नगर विकास योजना 02 बनाये जाने बावत

क्रमांक 205/के.डी.ए./2021.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-50 (1) के अंतर्गत एतद्वारा सर्व-साधारण की सूचना हेतु प्राधिकरण की ग्राम बरगवां में प्रस्तावित आवासीय सह वाणिज्यिक योजना क्रमांक-02 के क्रियान्वयन हेतु योजना की मंशा की घोषणा की जाती है जो कि नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण की योजना क्रमांक-02 के नाम से जानी जावेगी. उक्त विकास योजना निम्न विवरण में दर्शाए अनुसार क्षेत्र में बनाई जाना है. जिसकी चतुःसीमा का विवरण निम्नानुसार :—

ग्राम बरगवां, पटवारी हल्का नम्बर 42, राजस्व नि.म. मुडवारा-1, तहसील कटनी, जिला कटनी के खसरा नम्बर 194, 202, 203, 209/2, 204, 205/2 जिनका रकबा क्रमशः 0.3321, 1,173, 0.688, 0.191, 1.034 कुल रकबा 3.442 हैक्टेयर शासकीय भूमि जो कि विकास प्राधिकरण को आवंटित है, जिसकी चौहदी निम्नवत है :-

उत्तर दिशा— खसरा नम्बर 205/1, 193 एवं 196

दक्षिण दिशा— खसरा नम्बर 209 व 209/13

पूर्व दिशा— खसरा नम्बर 195 एवं 200

पश्चिम दिशा— खसरा नम्बर 209/13

(बलवीर रमण)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(G-676)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, ओमप्रकाश व्यास पिता रामलाल व्यास सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ चम्बल फर्टीलाइजर के शेयर सर्टीफिकेट्स में मेरा नाम प्रकाशचन्द्र व्यास अंकित है, मेरे आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, राशन कार्ड, समग्र आई.डी. आदि सभी पर मेरा नाम ओमप्रकाश व्यास पिता रामलाल व्यास अंकित है, ओमप्रकाश व्यास पिता रामलाल व्यास तथा प्रकाशचन्द्र व्यास दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं.

अतः भविष्य में मुझे ओमप्रकाश व्यास पिता रामलाल व्यास के नाम से जाना, पहचाना जाये.

पुराना नाम
(प्रकाशचन्द्र व्यास)

नया नाम
(ओमप्रकाश व्यास)
पिता रामलाल व्यास.

(G-677)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री याशिका जामदार की कक्षा 11,12, बी.कॉम फाईनल की अंकसूची में पिता का नाम टी.राव जामदार दर्ज है तथा मेरी पुत्री की 10वीं की अंकसूची में पिता का नाम टी.आर. जामदार दर्ज है तथा पुत्री के पैन कार्ड, आधार कार्ड में पिता का नाम त्रिम्बक राव जामदार दर्ज है जो कि सत्य व सही है भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में पिता का नाम त्रिम्बक राव जामदार ही पढ़ा, लिखा, मान्य किया जावे.

प्रेषक,

(त्रिम्बक राव जामदार)

पुत्र श्री जयवंत राव जामदार,

निवासी— ललित मेडीकल के पास, जगताप की गोठ,

गली नम्बर 2, माधौगंज लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-678)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी कक्षा 4, 8 की अंकसूची में माँ का नाम नेहा शर्मा अंकित है जो कि सत्य व सही है तथा मेरी कक्षा 10, 12 की अंकसूची में माँ का नाम कीर्ति शर्मा घरेलू बोलचाल की भाषा का नाम अंकित हो

गया है. नेहा शर्मा एवं कीर्ति शर्मा दोनों ही नाम मेरे माँ के ही हैं मेरी माँ दोनों नामों से जानी, पहचानी व पुकारी जाती है. भविष्य में मेरे सभी शैक्षणिक एवं शासकीय दस्तावेजों में मेरी माँ का नाम नेहा शर्मा ही पढ़ा, लिखा व मान्य किया जावे.

पुराना नाम
(कीर्ति शर्मा)
पत्नी श्री अभय शर्मा
(G-679)

नया नाम
(नेहा शर्मा)
पत्नी श्री अभय शर्मा,

Notice For Change of Last name

It is informed to the general public that previously my name was Vineet P S/o Shri K P Pillai. Now I have changed my name as Vineet Prasanna S/o Shri K P Pillai. Now in future I will be known as Vineet Prasanna.

Old Name
(Vineet P)
(G-680)

New Name
(Vineet Prasanna)

उपनाम परिवर्तन

मैं, संतोष मिश्रा पुत्र स्व. श्री गौरीशंकर शर्मा घोषणा करता हूँ कि मेरे शासकीय व शैक्षणिक प्रपत्रों अंकसूचियों में मेरा नाम संतोष शर्मा अंकित है. आज दिनांक 18-09-2021 को अपना उपनाम बदलकर संतोष मिश्रा कर लिया है. अतः मेरे समस्त शासकीय व शैक्षणिक दस्तावेज आदि में मेरा नाम संतोष मिश्रा अंकित किया जाये एवं मुझे संतोष मिश्रा के नाम से ही जाना, पहचाना जाये.

पुराना नाम
(संतोष शर्मा)

नया नाम
(संतोष मिश्रा)

निवासी-सी-48, वेतवा भवन,
पर्यटन भवन के पीछे, शिवाजी पार्क
के सामने, जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर,
सिटी सेंटर, ग्वालियर (म. प्र.)

(G-681)

नाम परिवर्तन

मैं, एन. एम. आरती (N. M. AARTI) पुत्री श्री नागराज, आयु 20 वर्ष, निवासी-बी-26, मदरासी कॉलोनी, पंचशील नगर, हुजूर, भोपाल सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि पूर्व में मेरा नाम आरती गौड़ (AARTI GOUD) था जिसको परिवर्तन कर मैंने अपना नाम एन. एम. आरती (N. M. AARTI) रख लिया है. अतः भविष्य में मुझे एन. एम. आरती (N. M. AARTI) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(आरती गौड़)

नया नाम
(एन. एम. आरती)

पिता श्री नागराज
पता-बी-26, मदरासी कॉलोनी,
पंचशील नगर, हुजूर, भोपाल.

(G-682)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अवयस्क पुत्र सिद्धार्थ जोशी के स्कूल चमेली देवी पब्लिक स्कूल, इन्दौर के अभिलेख में भूल व त्रुटिवश माता का नाम प्रीती जोशी (Preeti Joshi) लिखा गया है जिसे बदलकर अलका जोशी (Alka Joshi) कर लिया है. सो विदित होवे.

पुराना नाम
(प्रीती जोशी)

नया नाम
(अलका जोशी)
296, शांतीनाथपुरी कालोनी,
इन्दौर (म. प्र.)-452001

(G-683)

नाम परिवर्तन

मैं कौशल सिंह पुत्र श्री सुजान सिंह गुर्जर सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा घर का नाम रामवरन सिंह गुर्जर था जो मेरे पुत्र रणवीर सिंह गुर्जर की बीमा पॉलिसी क्रमांक 203031693 में अंकित हो गया है जबकि वर्तमान में मुझे कौशल सिंह के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाता है ये दोनों नाम मेरे ही हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम

(रामवरन सिंह गुर्जर)

(G-684)

नया नाम

(कौशल सिंह)

पुत्र श्री सुजान सिंह गुर्जर,
ग्राम सीहोर, तहसील नरवर,
जिला शिवपुरी.

नाम परिवर्तन

मैं, रेखा जैन पत्नि श्री जय कुमार जैन सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम पिंकी जैन था जो मेरे बीमा पॉलिसी क्र. 203563897 और बजाज पॉलिसी नं. 0137644294 एवं 0071890815 एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मैं रेखा जैन पत्नि श्री जय कुमार जैन के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, रेखा जैन मेरे बैंक खाता, आधार एवं पैन कार्ड इत्यादि में मेरा नाम रेखा जैन लिखा गया है. पिंकी जैन एवं रेखा जैन मेरे ही नाम हैं और भविष्य में भी मैं रेखा जैन पत्नि श्री जय कुमार जैन के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूंगी. अतः मेरे बीमा पॉलिसी क्र. 203563897 और बजाज पॉलिसी नं. 0137644294 एवं 0071890815 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम पिंकी जैन के स्थान पर रेखा जैन पत्नि श्री जय कुमार जैन लिखा एवं पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम

(पिंकी जैन)

(G-685)

नया नाम

(रेखा जैन)

पत्नि श्री जय कुमार जैन,
पता—ए. बी. रोड, थाने के सामने,
बदरवास, जिला शिवपुरी.

नाम परिवर्तन

मैं, सुरेन्द्र पाल पुत्र श्री राम सिंह पाल सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम सुरेन्द्र सिंह बघेल था जो मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि मेरा वर्तमान नाम सुरेन्द्र पाल पुत्र श्री राम सिंह पाल के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाता हूँ, सुरेन्द्र पाल एवं सुरेन्द्र सिंह बघेल दोनों मेरे ही नाम हैं.

पुराना नाम

(सुरेन्द्र सिंह बघेल)

(G-686)

नया नाम

(सुरेन्द्र पाल)

गली नं. 01, शिव कॉलोनी,
गुढ़ा, लश्कर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मैं सोना सिंघल पत्नि श्री दिलीप सिंघल सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम प्रीति गोयल था जो मेरे मार्कशीट, राशन कार्ड एवं एफ डी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि विवाह पश्चात मेरा नाम सोना सिंघल पत्नि श्री दिलीप सिंघल हो गया है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते में लिखा गया है. वर्तमान में मैं सोना सिंघल

पत्नि श्री दिलीप सिंघल के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम सोना सिंघल पत्नि श्री दिलीप सिंघल के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूंगी। प्रीति गोयल एवं सोना सिंघल दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे मार्कशीट, राशन कार्ड, एफ डी व अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम प्रीति गोयल के स्थान पर सोना सिंघल लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम

(प्रीति गोयल)

(G-687)

नया नाम

(सोना सिंघल)

पत्नि श्री दिलीप सिंघल,
निवासी-रेस्ट हाउस के पास, ए. बी. रोड,
बदरवास, शिवपुरी।

नाम परिवर्तन

मैं, राजेन्द्र सिंह लोधी पुत्र श्री प्रीतम सिंह लोधी सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम रिकू नरवरिया था जो मेरी बीमा पॉलीसी क्रमांक 200384393 एवं अन्य प्रपत्रों में नाम लिखा गया है जबकि वर्तमान में मुझे राजेन्द्र सिंह लोधी के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है। राजेन्द्र सिंह लोधी एवं रिकू नरवरिया दोनों नाम मेरे ही हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम

(रिकू नरवरिया)

(G-688)

नया नाम

(राजेन्द्र सिंह लोधी)

पुत्र श्री प्रीतम सिंह लोधी,
पता-गिरबाई नाका, ए.बी. रोड,
धर्म कांटे के पास, ग्वालियर।

नाम परिवर्तन

मैं, चन्द्रकान्ता गेहानी पत्नी श्री धर्मेन्द्र गेहानी सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे घर का बोलता नाम दीप्ती गेहानी था जबकि वर्तमान में मैं चन्द्रकान्ता गेहानी पत्नी श्री धर्मेन्द्र गेहानी के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं मेरे अन्य प्रपत्रों जैसे आधारकार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि मे मेरा नाम चन्द्रकान्ता गेहानी लिखा गया है एवं भविष्य में चन्द्रकान्ता गेहानी पत्नी श्री धर्मेन्द्र गेहानी के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती हूँ। ये दोनों नाम मेरे ही हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम

(दीप्ती गेहानी)

(G-689)

नया नाम

(चन्द्रकान्ता गेहानी)

पता-26/24, बैरागढ़,
भोपाल।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा बचपन का नाम रिकी पमनानी और शादी के पूर्व का नाम किरण पमनानी पुत्री श्री श्यामलाल पमनानी, निवासी के-9, चेतकपुरी, लशकर, ग्वालियर है। अब मेरी शादी के बाद नाम बदलकर दामिनी जुमरानी पति श्री नितिन जुमरानी, निवासी जे-20, जैन मंदिर के पास, चेतकपुरी, झांसी रोड, लशकर, ग्वालियर है। अतः भविष्य में मुझे दामिनी जुमरानी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे। सर्वसाधारण को सूचित हो।

पुराना नाम

(रिकी पमनानी/किरण पमनानी)

(G-690)

नया नाम

(दामिनी जुमरानी)

जे-20, जैन मंदिर के पास,
चेतकपुरी, झांसी रोड,
लशकर, ग्वालियर (म. प्र.)।

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स स्काई हाइट्स डेवलपर्स जिसका पता 1620/211 नानक कॉम्पलेक्स, 2 फ्लोर, ट्रांसपोर्ट नगर, इन्दौर-452001 जिसका पंजीयन नं. 3-27-01-0064-16 सन् 2016-2017 दिनांक 23-08-2016 है, दिनांक 1-10-2020 को फर्म में नवीन भागीदार के रूप में 1 श्रीमति अमृत कौर मल्होत्रा पुत्री श्री अमरीक सिंह कीर, पता वार्ड नं 13, नेहरू वार्ड अलका टॉकीज के पास, पिपरिया 2. श्रीमति जसमीत कौर मल्होत्रा पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह खनुजा निवासी वार्ड नं 13, नेहरू वार्ड अलका टॉकीज के पास, पिपरिया एवं उस ही दिनांक को 1. श्री सरदार इन्द्रजीत सिंह खानुजा पुत्र स्व. श्री बूटा राम जी खानुजा, निवासी म. नं. 8, प्रताप नगर, माणिक बाग रोड, इन्दौर स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये हैं फर्म का पूर्व में पता 1620/211 नानक कॉम्पलेक्स, 2 फ्लोर, ट्रांसपोर्ट नगर, इन्दौर-452001 था अब पते में परिवर्तन कर नया पता ब्लॉक नं. 2, मकान नम्बर 25 मानी नगर निम वासा, इंडस्ट्री एरिया, उज्जैन, म. प्र. में किया गया है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

मेसर्स स्काई हाइट्स डेवलपर्स,

(Rasmeet Singh)

भागीदार

इंदौर.

(G-691)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अर्थ बिल्डर्स और प्रमोटर्स पंजीयन क्र. 05-22-03-0020-21 दिनांक 24 जून 2021 पता-13/777, नियर अरुण पार्क, ट्रांसफार्मर के पास, नेहरू नगर, रीवा (म. प्र.) यह की फर्म की रचना में परिवर्तन करते हुए फर्म में दिनांक 01 जुलाई 2021 को एक संशोधन विलेख के माध्यम से फर्म के पार्टनर श्री नीरज सिंह एवं रामायण साकेत दिनांक 1 जुलाई 2021 से अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक् (सेवानिवृत्त) हो गए हैं जिसका आज दिनांक 1 जुलाई 2021 से फर्म की किसी भी गतिविधि से लेना देना नहीं होगा. संशोधन विलेख के माध्यम से फर्म मेसर्स अर्थ बिल्डर्स और प्रमोटर्स में शेष भागीदार श्री अभिषेक पाण्डेय एवं श्री राकेश कुमार शुक्ला यथावत पार्टनर रहेंगे.

मेसर्स अर्थ बिल्डर्स और प्रमोटर्स,

(अभिषेक पाण्डेय, राकेश कुमार शुक्ला)

पार्टनर.

पता-13/777, नियर अरुण पार्क, ट्रांसफार्मर के पास,
नेहरू नगर, रीवा (म. प्र.).

(G-692)

NOTICE

U/S 72 OF THE PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that in the Firm M/s. Sai Builders and Developers, Register No. 03-27-01-0092-21 dated 30-07-2021, office at 101, Modi Mension, Opposite Bombay Hospital, EB-250, Scheme No. 94, R, Indore M.P. which was constituted vide partnership deed executed on 12th December 2017 and the initial partners were Shri Jayesh Mourya S/o Shri Ramdas Mourya and Shri Rajesh Mourya S/o Shri Ramdas Mourya.

In this Firm subsequently following changes have occurred on 09th June 2021. Smt. Rajkumari Mourya W/o Shri Ramesh Mourya and Smt. Rita Mourya W/o Shri Rajesh Mourya has joined the firm as new partner. Thus, Shri Jayesh Mourya and Shri Rajesh Mourya voluntarily retired from the firm.

Now Smt. Rajkumari Mourya and Smt. Rita Mourya are the running partners in the firm.

M/s. Sai Builders and Developers,
(Rajkumari Mourya, Rita Mourya)

Partner.

G-693)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s RISHI SHREE PALAK CONSTRUCTIONS पता 9-B, INDRAPURI, BHOPAL पंजी. क्र. 01-01-01-0239 / 10, दिनांक 28-08-2010 है फर्म की रचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं :- SMT. NAMITA SHARMA W/O SANJAY SHARMA 126, ARCHANA HOMES, AYODHYA BY PASS, BHOPAL दिनांक 30-06-2013 से पृथक् हुई. SHRI VISWAKANT BHARGAVA S/o SHRI SUNDERLAL BHARGAVA 147, KARMVEER NAGAR, BHEL, BHOPAL एवं SHRI SANJAY SHARMA S/o SHRI N. P. SHARMA, 126, ARCHANA HOMES, AYODHYA BY PASS, BHOPAL दिनांक 01-07-2013 से फर्म में शामिल हुए. SHRI SHISHIR MAHESHWARI S/o SHRI SHREENIWAS MAHESHWARI, H-34 Apsara Complex, Indrapuri, Bhopal दिनांक 31-12-2015 से पृथक हुए. SHRI K. R. BHARADWAJ S/o LATE SHRI P. C. BHARADWAJ 9-B, INDRAPURI, BHOPAL का निधन दिनांक 11-02-2016 को हो जाने से फर्म से पृथक हुए. SMT. RAJ BHARADWAJ W/o LATE SHRI K. R. BHARADWAJ 9-B, INDRAPURI, BHOPAL भागीदारी फर्म में दिनांक 12-02-2016 से शामिल हुए. SMT RUKMANI SHARMA W/o SHRI K. L. SHARMA 177, C-SECTOR, INDRAPURI, BHOPAL एवं SHRI NEERAJ SHARMA S/o SHRI K. L. SHARMA 177, C-SECTOR, INDRAPURI, BHOPAL दिनांक 10-07-2021 से फर्म में सम्मिलित हुए. SMT. RAJ BHARADWAJ W/o LATE SHRI K. R. BHARADWAJ, 9-B, INDRAPURI, BHOPAL, SMT. VINITA BHARGAVA W/o SHRI VISWAKANT BHARGAVA, 9-B, INDRAPURI, BHOPAL, SHRI VISWAKANT BHARGAVA S/o SHRI SUNDERLAL BHARGAVA, 9-B, INDRAPURI, BHOPAL, SHRI SANJAY SHARMA S/o SHRI N. P. SHARMA, 9-B, INDRAPURI, BHOPAL दिनांक 19-08-2021 से पृथक हुए एवं उक्त दिनांक से ही पता 9-B, INDRAPURI, BHOPAL से First Floor Hall No. 1, Plot No. 2, Regal Civic Centre, Village Khajuri Kalan, Tehsil Huzur, Bhopal-462022 किया गया है.

M/s RISHI SHREE PALAK CONSTRUCTIONS
(Neeraj Sharma)

Partner

First Floor Hall No. 1, Plot No. 2,
Regal Civic Centre, Village Khajuri Kalan,
Tehsil Huzur, Bhopal-462022.

(G-694)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि TULSI ASSOCIATES पता-13/A, Mezanine Floor Zone-1, M P Nagar, Bhopal (M.P.) पंजी. क्र. 01-01-01-0247 / 17, दिनांक 15-09-2017 है, दिनांक 15-09-2021 को Mr. Siddarth Jain S/o Shri Arvind Jain, पता-28/C-Sector Sonagiri, Bhopal भागीदारी फर्म से पृथक हुए. दिनांक 15-09-2021 को Smt. Anita Jain W/o Shri Arvind Jain, पता-28/C-Sector Sonagiri, Bhopal भागीदारी फर्म में शामिल हुई एवं दिनांक 15-09-2021 से ही फर्म का नाम M/S TULSI ASSOCIATES पता-First Floor Hall No. 1, Plot No. 2, Regal Civic Centre, Village Khajuri Kalan, Tehsil Huzur, Bhopal-(M.P.) किया गया है.

TULSI ASSOCIATES

(Neeraj Sharma)

Partner

First Floor Hall No. 1, Plot No. 2,
Regal Civic Centre, Village Khajuri Kalan,
Tehsil Huzur, Bhopal (M.P.)

(G-695)

NOTICE U/S 72 OF THE PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that in the Firm M/s. Rurban Consultancy Services, Register No. 01/08/03/0159/ 20 dated 27-09-2020, office at Shop No. 02, First Floor, Opp. Teh. Office, ward no. 06, Betul Road, Timarni, Distt.-Harda M. P. which was constituted vide partnership deed executed on 01 August 2020 and the initial partners were 1. Mayank Tillore, 2. Shahid Shah 3. Ritesh Ghoiya.

In this Firm subsequently following changes have occurred on 08-09-2021. 1. Saloni Billore and 2. Jeetmal Nagar has joined the firm as new partners. Thus, Shri Ritesh Ghoiya and Shri Shahid Shah voluntary retired from the firm. Now 1. Mayank Tillore, 2. Jeetmal Nagar and 3. Saloni Billore are the running partners in the firm.

M/S. RURBAN CONSULTANCY SERVICES
(Mayank Tillore)

(G-696)

Partner.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that in the Firm M/s. Shri Sharda Industries, Office at 23/2, Sajan Nagar, Indore, M.P. which was constituted vide partnership deed executed on 9th April 1995 and the initial partners were (1) Shri Radheshyam Agrawal (2) Shri Narottamdas Agrawal, (3) Prahladdas Agrawal and (4) Shri Ravish Agrawal.

In the Firm Subsequently following changes have occurred on 9th December 2010. (1) Prahladdas Agrawal and (2) Shri Ravish Agrawal voluntarily retired. Now (1) Shri Radheshyam Agrawal (2) Shri Narottamdas Agrawal are the running partners in the firm.

After that, in this Firm Subsequently following changes have occurred on 31st December 2019. Shri Radheshyam Agrawal passed away on 31st December 2019. After death of Shri Radheshyam Agrawal and according to the his will Shri Ankit Agrawal has joined the firm as a new partner. Now Shri Narottamdas Agrawal and Shri Ankit Agarwal are the running partners in the firm.

M/s. Shri Sharda Industries,
(Narottamdas Agarwal)

(G-697)

Partner.

NOTICE

U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that in the Firm SHRI SIDDHI VINAYAK BIO FULES GWALIOR Registration No. 02/44/01/0173/17 dated 23-12-2018 undergone the following changes :- That the Shri Yadavendra Sharma S/o Dhap Sharma and Shri Deepak Goyal S/o Rakesh Kumar Goyal have expressed his desired to join the partnership Firm and work together as partner and Shri Abhinav Garg S/o Mukesh Kumar Garg and Shri Sunil Kumar Garg S/o Shri Harish Chand Garg Si/hing in pursuance to their Desire to retiring from the partnership firm with effect from 01-01-2020.

SHRI SIDDHI VINAYAK BIO FULES
(Ghanshyam Goyal)

(G-698)

Partner.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सिटी बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स जिसका पंजीयन क्रमांक 02-44-01-00025-11 दिनांक 10-05-2011 में पंजीकृत है जो 22/16 विवेकानंद कॉलोनी, गणेशपुरा, मुरैना, म. प्र. में स्थित है जिसका दिनांक 18-04-2011 को गठन हुआ था जिसमें 5 भागीदार थे एवं दिनांक 23-04-2021 को भागीदार क्र. 3 अवधेश कुमार सक्सेना उक्त फर्म से पृथक हो गये एवं दिनांक 10-09-2021 को पुनः भागीदारी फर्म में संशोधन कर भागीदार क्र.2 श्री मोहन कुमार बंसल, भागीदार क्र. 4 शरवदी देवी, भागीदार क्र. 5 रामवती देवी फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं तथा दिनांक 10-09-2021 को श्रीमती पिंकी श्रीवास पत्नी श्री मदन मोहन श्रीवास फर्म में सम्मिलित हो रही हैं. वर्तमान में फर्म को मदन मोहन श्रीवास एवं श्रीमती पिंकी श्रीवास द्वारा संचालित किया जावेगा अतः आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मेसर्स सिटी बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स,
(मदन मोहन श्रीवास)

भागीदार.

(G-699)

22/16 विवेकानंद कॉलोनी, गणेशपुरा, मुरैना, (म. प्र.)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्रीनाथजी रियल इस्टेट फर्म जिसका पता- 89, ग्राम मोरोद, खंडवा रोड, इंदौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 03-27-01-00241-12, दिनांक 27 जनवरी 2012 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री रमेश सिंह मस्कारा पिता श्री गणपत सिंह मस्कारा, 2. श्री मनोज कुमार चौबे पिता श्री रामनारायण चौबे थे. तत्पश्चात् दिनांक 01 अप्रैल 2016 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्रीमति प्रेमलता माहोर पति श्री प्रेमचंद माहोर एवं श्री धीरेन्द्र माहोर पिता श्री प्रेमचंद माहोर भागीदारी फर्म मेसर्स श्रीनाथजी रियल इस्टेट में सम्मिलित हो गए हैं तथा दिनांक 31 मार्च 2021 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री रमेश सिंह मस्कारा पिता श्री गणपत सिंह मस्कारा, 2. श्री मनोज कुमार चौबे पिता श्री रामनारायण चौबे मेसर्स श्रीनाथजी रियल इस्टेट से पृथक हो गये हैं भागीदार ने फर्म मेसर्स श्रीनाथजी रियल इस्टेट से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है तथा कुछ लेना-देना शेष नहीं है एवं फर्म का पता 312-A, सुदामा नगर इंदौर हो गया है. यह विदित हो.

तर्फ

मेसर्स श्रीनाथजी रियल इस्टेट,

1. प्रेमलता माहोर,

2. धीरेन्द्र माहोर,

(पार्टनर)

(G-700)

NOTICE

NOTICE U/S 60 READ WITH SECTION ON 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932 (AS AMENDED)

Notice is hereby given in general to public at large that the Partners of the Registered Partnership Firm "SHREE GANPATLAL ONKARLAL AGRAWAL AND COMPANY" vide Registration No. 03/27/03/00039/08 year 2008-09 dated 04-06-2008 has decide and principally agree to carried out the following changes :-

Herein whereas the partners of the aforesaid Firm had executed Addendum to Partnership Deed as on 17-08-2021 and continue to carry on the said business in Partnership as per the terms, condition, stipulations and provisions of deed of Partnership dated April 01, 2016, June 29, 2017 September 29, 2016 and April 01, 2021 as far as applicable except the clauses as varied by the Addendum to deed of Partnership dated 17-08-2021 and Partner also ratify the all the business activities of the Firm same as stated in the earlier Partnership deed as well as the amendment deeds/addendum to Partnership deed executed time to time and the partners of "SHREE GANPATLAL ONKARLAL AGRAWAL AND COMPANY" has unanimously passed the resolution in respect of change of Principal Place of Business to "Swastik House"3rd Floor, 21/3. Ratlam Kothi, Near Geeta Bhawan Square, Indore (M. P.)-452001 with effect from 17-08-2021 i.e. the date of Addendum to deed of Partnership and/or at such other place or places as shall be mutually agreed by the majority of Partners of the Firms.

SHREE GANPATLAL ONKARLAL AGRAWAL AND COMPANY
(Vikas Bansal)

Partner.

"Swastik House"3rd Floor, 21/3.
Ratlam Kothi, Near Geeta Bhawan Square,
Indore (M. P.)-452001

(G-701)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी सागर, मध्यप्रदेश

[प्रारूप चार नियम 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1952 का नियम 5 (1) देखिए.]

चूंकि श्री चक्रधर प्रसाद ब्रम्हचारी शिष्य श्री श्री 108 श्रीमदभक्तिदयित माधव गोस्वामी जी महाराज निवासी श्री गुरु बिरही धाम 352-614-1 भूतेश्वर धाम भगत सिंह वार्ड सागर ने म.प्र. लोकन्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा के अधीन अनुसूची में लोकन्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 29 नवम्बर 2021 को विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं पवन बारिया, अनुविभागीय अधिकारी सागर, जिला सागर का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 29 नवम्बर 2021 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या उक्त संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा :-

अनुसूची

लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन लोक न्यास का नाम और पता

न्यास का नाम - श्री गौर गदाधर राधामाधव मंदिर ट्रस्ट श्री गुरु बिरही धाम, सागर (म.प्र.), तह. सागर व जिला सागर.

चल/अचल संपत्ति के ब्यौरे :-

नाम वस्तु.....

क्रमांक (1)	सामान विवरण (2)	प्रारंभिक स्टॉक (3)	अनुमानित मूल्य (4)
1.	राजमंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु जी विग्रह	1	100000/-
2.	श्री कृष्ण जी विग्रह	1	1,40000
3.	श्री राधाजी विग्रह	1	1,20,000/-
4.	श्री महाप्रभुजी एवं श्री कृष्ण छोटे विग्रह	3	60000/-
5.	श्री लड्डू गोपाल छोटे विग्रह, बड़े विग्रह	1	20000/-
6.	श्री शालिगराम विग्रह	3	5000/-
7.	श्री गौमाता मूर्ति (चांदी)	1	5000/-
8.	श्री गुरु परंपरा चित्र छोटे	7	2000/-
9.	छड़ी चांदी की	1	10000/-
10.	बंशी चांदी की	2	1000/-
11.	बंशी छोटी चांदी की	1	500/-
12.	बंशी सामान्य	2	200/-
13.	लोटा तांबे के मध्यम	3	700/-

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	सकोरा पीतल का जल विसर्जन पात्र	1	400/-
15.	चौकी लकड़ी की "1X2"	1	500/-
16.	चौकी छोटी "2X1.5" फुट	1	300/-
17.	पलंग सैया छोटा 2X2 फुट	1	500/-
18.	टेबिल बड़ी लकड़ी की 2X2	1	1000/-
19.	स्टूल लकड़ी का 2X2	1	300/-
20.	सिंहासन पीतल का छोटा शालिगराम का	1	1000/-
21.	सिंहासन बड़ा लकड़ी का बड़े श्री विग्रहों का	1	500000/-

योग - 973400/-

क्र.	सामान राजमंदिर में (विवरण)	प्रारंभिक स्टॉक	अन्तिम स्टॉक
22.	मुकुट श्री महाप्रभुजी का	1 मोती	1500/-
23.	मुकुट श्री राधाकृष्ण	2"	3000/-
24.	मुकुट श्री महाप्रभुजी	2	2000/-
25.	मुकुट श्री राधाकृष्ण	2+2	4000/-
26.	मुकुट श्री महाप्रभु	01 मी. चांदी	2000/-
27.	मुकुट श्री राधाकृष्ण	2 मी. चांदी	4000/-
28.	मुकुट श्री महाप्रभुजी की राधाकृष्ण छोटे विग्रह	130 ग्राम चांदी पृष्ठ देखें	6000/-
29.	शंख बड़ा	1	1500/-
30.	शंख छोटा	1	800/-
31.	गरुड घंटी बड़ी	2	500/-
32.	गरुड घंटी छोटी	3	300/-
33.	आरती बड़ी	3	600/-
34.	आरती छोटी	3	300/-
35.	चमर (बालनीलगाय)	2	5000/-
36.	मोर पंख चमर	1	1000/-
37.	पंखा (हाथ का)	1	300/-
38.	पंखा	1	100/-
39.	स्टील गिलास ठाकुरजी	3	120/-
40.	जग भोग का	1	150/-
41.	पोशाकें	12	60000/-
42.	बिछाई	3	10000/-
43.	परदे	4	5000/-
45.	मरकरी लाईट बड़ी	1	2000/-
46.	अन्य लाईट सामग्री	1	2000/-
47.	सिंहासन लकड़ी चित्रपट रखने का	1	500/-
48.	कड़े हाथ के चांदी के	2	2300/-
49.	कड़े पैर के चांदी के	2	4000/-

योग-118970.00

नाम वस्तु.....

क्रमांक	सामान विवरण लकड़ी, लोहा, बिजली सामान	प्रारंभिक स्टॉक	अनुमानित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री गौर राधा माधव मंदिर भवन	1	19050000/-
2.	तखत लकड़ी के	12	36000/-
3.	टेबिल बड़ी लकड़ी की	1	3000/-
4.	टेबिल छोटी लकड़ी की	2	2000/-
5.	स्टूल लकड़ी	5	500/-
6.	कुर्सी	6	3000/-
7.	कुर्सी प्लास्टिक	24	12000/-
8.	पलंग बड़ा लकड़ी का	1	30000/-
9.	पलंग छोटा लकड़ी	1	10000/-
10.	दीवान पलंग पेटी	1	10000/-
11.	अलमारी लोहे की	3	10000/-
12.	झूला लकड़ी का	1	80000/-
13.	नसैनी लोहे की 50 कि.	1	5000/-
14.	स्टूल लोहे का	1	1500/-
15.	फ्रिज	2	20000/-
16.	आर. ओ फ्रिज वाला	1	45000/-
17.	सीलिंग फैन	32	48000/-
18.	दीवाल फैन	5	10000/-
19.	एगजास्ट फैन बड़े	4	12000/-
20.	एगजास्ट फैन छोटा	2	2000/-
21.	ए.सी.	2	50000/-
22.	टी.व्ही. 21 इंच	2	20000/-
23.	एलसीडी 21 इंच	1	20000/-
24.	एलसीडी 50 इंच	1	85000/-
25.	मिक्सी	2	5000/-
26.	गिराइन्डर	1	20000/-
27.	कूलर	3	12000/-
			योग - 19602000/-
28.	सी.सी.टी.व्ही. केमरा, एल.सी.डी. 14"	8	40000/-
29.	एम्प्लीफायर और माइक	1	20000/-
30.	कार्डलेस सेट	1	5000/-
31.	साउंड बैटरी माइक	1	11000/-
32.	इन्वर्टर बैटरी सहित	2	30000/-
33.	मीटर श्री फेस डोरी	1	10000/-

34.	मीटर सिंगल फेस	1	2000/-
35.	बिजली मोटर 1 हार्स	2	10000/-
36.	मोटर 1.5 हार्स पावर	1	5000/-
			योग - 133000/-

रसोई के बर्तन आदि

1.	गैस चूल्हा	2	3000/-
2.	गैस भट्ठी	10	20000/-
3.	गैस सिलेन्डर घरेलू	8	25000/-
4.	लोटा स्टील	50	1250/-
5.	डिब्बा स्टील	50	2500/-
6.	थाली मध्यम स्टील	100	5000/-
7.	प्लेट स्टील	50	1250/-
8.	कटोरी	50	500/-
9.	तसला	50	7500/-
10.	चम्मच बड़ी	50	750/-
11.	करछला बड़े स्टील	4	1600/-
12.	बाल्टी	20	3000/-
13.	बाल्टी प्लास्टिक	10	1000/-
14.	कुकर बड़ा 20 ली. एल्यु.	1	4500/-
15.	कुकर मध्यम "10"	1	3000/-
			योग - 79850/-

16.	कुकर छोटे एलु. 03 लि.	2	1000/-
17.	कड़ाही लोहे की	6	12000/-
18.	टंकी स्टील की 50 गुणा 200 50 कि. 200 लीटर	4	10000/-
19.	गंज बड़े 150 कि. 100 लि.	8	15000/-
20.	गंज छोटे 100 कि., 100 ली.	8	-
21.	गंज स्टील 15कि. 200 ली.	4	3000/-
22.	कोपर छोटे एवं बड़े 50 कि. 400 कि.	4	20000/-
23.	कोपर एल्यु. 20 कि. 100 ली.	2	2000/-
24.	ग्लास स्टील	300	6000/-
25.	टंकी लोहे की	6	3000/-
26.	टंकी पानी की	4	4000/-
27.	केतली बड़ी स्टील की चाय	1	2000/-
			योग - 88000/-

वस्त्र आदि

1.	गद्दा फोम	50	30000/-
2.	गद्दा रूई	25	12500/-
3.	रजाई जयपुरी	50	12500/-
4.	कम्बल	50	12500/-

5.	तकिया	50	1250/-
6.	चादर	25	1250/-
7.	कारपेट	9	50000/-
8.	फर्श	10	5000/-
9.	ग्लीचा	1	5000/-
10.	टाटपट्टी	20	4000/-
11.	पानी का कुआं पक्का बाहरी गेट के बाजू में	1	150000/-

योग - 2,84,000/-

“मंदिर की चल अचल संपत्तियों की एकत्र विवरण सूची”

श्री गौर गदाधर राधामाधव मंदिर, निजी ट्रस्ट, श्री गुरुधाम भूतेश्वर पथ, सागर म.प्र. भगतसिंह वार्ड सागर के पास चल अचल संपत्ति की अनुमानित कीमत स्टाक रजिस्टर के अनुसार निम्न लिखी गई है. स्टाक रजिस्टर की प्रमाणित छाया प्रति साथ में संलग्न है:-

1.	श्री राजमंदिर में सामग्री आदि का मूल्य-	पृष्ठ 1 से एवं 2 से	973400.00 रुपये 118970.00 रुपये
2.	लकड़ी, लोहा, बिजली, आदि सामान का मूल्य	पृष्ठ 3 से पृष्ठ 4 से	19602000.00 रुपये 133000.00 रुपये
3.	रसोई के बर्तन आदि सामान का मूल्य	पृष्ठ 4 से पृष्ठ 5 से	79850.00 रुपये 88000.00 रुपये
4.	वस्त्र आदि का मूल्य	पृष्ठ 5 से	284000.00 रुपये
5.	राजमंदिर में पृष्ठ 2 का शेष	पृष्ठ 6 से	117500.00 रुपये
कुल योग-			21396720.00 रुपये

संलग्न- प्रपत्र 6, दिनांक 31-03-2020

नाम वस्तु			
क्रमांक	राजमंदिर में पृ. 2 का शेष	प्रारंभिक स्टॉक	अनुमानित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पेंडिल सोना 5.660 ग्राम	1	22000/-
2.	पेंडिल सोना 3.100 ग्राम	2	12000/-
3.	पेंडिल सोना 6.320 ग्राम	3	24000/-
4.	मुकुट राधाकृष्ण चांदी 2.20 ग्राम	2	11000/-
5.	कटोरी चांदी की छोटी 50 ग्राम	1	2250/-
6.	छत्र बड़ा	6	18000/-
7.	करधनी चांदी	1	12000/-
8.	बेन्दी सोने की राधारानी	1	7500/-

9.	नथ सोने की	1	6500/-
10.	पायल चांदी की 1 जोड़ी	नग 2	2250/-
			योग- 117500/-

राजाराम सिंह सचिव
श्री गौर गदाधर राधा माधव मंदिर

पवन बारिया,
अनुविभागीय अधिकारी.

(G-702)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी, अनुविभाग बीना, जिला सागर, मध्यप्रदेश
प्र.क्र. -01/बी-113(1)/2020-21. मौजा-इटवावा, प.ह.नं.-51
तहसील कार्यालय बीना, जिला- सागर, म.प्र.

1. लो.न्या. श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर चौबीसी जिनालय न्यास,
पता-बड़ी बजरिया बीना, जिला सागर
द्वारा- मानिक चंद जैन पिता पूरन चन्द्र जैन,
निवासी-चौधरी स्टील पैलेस महावीर चौक बीना.

(अधिवक्ता-निरंक)

1. मध्यप्रदेश शासन

आवेदकगण.....

विरुद्ध

(अधिवक्ता-निरंक)

अनावेदक

इस आम इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण-आमजन-उत्तरवादीगण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण-मानिक चंद जैन पिता पूरन चन्द्र जैन, पता चौधरी स्टील पैलेस, महावीर चौक बीना एवं अन्य ने लोक न्यास श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर चौबीसी जिनालय न्यास, बड़ी बजरिया बीना जिला-सागर के पंजीयन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है. प्रस्तुत आवेदन अनुसार समस्त 27 न्यासीगण एतद्द्वारा मध्यप्रदेश न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत कथित लोक न्यास के पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाना लेख किया गया है. आवेदकगण ने पंजीयन के संबंध में आवश्यक ब्यौरा लेख किया है जिसमें कुल चल संपत्ति मूर्तियाँ, बर्तन (सोना एवं चांदी), फर्नीचर, सोना मंदिर, बैंक एवं रोकड़ से 85,68,200/-रुपया दर्शित है अचल संपत्ति के ब्यौरे में राम वार्ड स्थित इमारत खसरा नंबर- 384/1/1, 384/33/3, 384/34 कुल क्षेत्रफल 7042.5 वर्गफुट हैं जिसका प्राक्कलित मूल्य 25,39,050/- दर्शाया गया है. विशेषज्ञ की मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा संलग्न प्रत्येक अचल संपत्ति का प्राक्कलित मूल्य 2,00,94,898/- एवं औसत सकल वार्षिक आय रुपया 17,20,000/- के लगभग एवं औसत वार्षिक व्यय 10,20,200/- दर्शाया गया है.

अतः इस आम इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण-आमजन-ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय वस्तु के संबंध में जिस प्रभावित व्यक्ति को कोई भी विधिक दावा/आपत्ति हो अथवा सुझाव देना चाहता हो तो वह वादग्रस्त स्थल पर नियत सुनवायी दिनांक को स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से दावा/आपत्ति अथवा सुझाव पेश कर सकता है, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति एवं सुझाव ग्राह्य नहीं किये जावेंगे.

आज दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी.

संयुक्त मौका जांच दिनांक 05 नवम्बर 2021.

प्रकाश नायक, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-703)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास, जबलपुर, मध्यप्रदेश

प्रारूप 4

[नियम 5 (1) देखिये]

जारी दिनांक 06 सितम्बर 2021

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के

नियम 5 (1) के अंतर्गत]

सूचना-पत्र

रा.प्र.क्र. 01-बी-113-1-20-21.-चूंकि विष्णु प्रसाद पटैल पिता रामसहाय पटैल निवासी ग्राम रैपुरा के द्वारा "श्री हनुमान जी दरबार सेवा ट्रस्ट एस.ए.ई. मेन रोड रैपुरा " के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 25 अक्टूबर 2021 को विचार के लिए नियत किया गया है. कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करे. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण एवं लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम : " श्री हनुमान जी दरबार सेवा ट्रस्ट एस.ए.ई. मेन रोड रैपुरा "
2. चल सम्पत्ति : कुछ नहीं.
3. अचल सम्पत्ति : ग्राम रैपुरा प.ह. 22 तहसील पनागर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 500/5/2 रकवा 0.010 हे., खसरा क्रमांक 500/8 रकवा 0.80 हे.

मणिन्द्र कुमार सिंह, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-704)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास बण्डा, जिला सागर, मध्यप्रदेश

बण्डा, दिनांक 22 जून 2021

रा.प्र.क्र. 01-बी-113(1)-2020-21.

ग्राम बण्डा, तहसील बण्डा.

काशी यादव पिता गोरेलाल यादव, अध्यक्ष

निवासी नानकपुर, तहसील शाहगढ़, जिला सागर, मध्यप्रदेश.

.....आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

क्र./क/क्यू/रीडर-1/2021.- सर्वसाधारण को इशतहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक काशी यादव पिता गोरेलाल यादव, निवासी नानकपुर, तहसील शाहगढ़, जिला सागर, मध्यप्रदेश द्वारा मौजा ग्राम नानकपुर में स्थित श्री श्री 1008 श्री देव हनुमान जी महाराज मंदिर, लोक न्यास, ग्राम नानकपुर, तहसील शाहगढ़, न्यास एवं न्यासधारी के न्यास मध्यप्रदेश अधिनियम की धारा 4 के अधीन लोक न्यास का पंजीयन कराने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है :-

क्रं.	प्रस्तावित नाम	पदनाम	निवास का पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री काशी पिता गोरेलाल यादव	अध्यक्ष	नानकपुर
2.	श्री ब्रजेश पिता लक्ष्मन यादव	उपाध्यक्ष	घुटरई
3.	श्री रूपसींग पिता गुलाब यादव	कोषाध्यक्ष	नानकपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	श्री मथरा पिता रामदयाल यादव	सचिव	नानकपुर
5.	श्री गोपी पिता चेपे यादव	सदस्य	नानकपुर
6.	श्री रतीराम पिता बाबूलाल यादव	सदस्य	घुटरई
7.	श्री अशोक पिता दयाली यादव	सदस्य	नानकपुर
8.	श्री छोटेलाल पिता जगन्नाथ यादव	सदस्य	नानकपुर
9.	श्री सतनाम पिता परमू यादव	सदस्य	नानकपुर
10.	श्री रामराज पिता काशीराम उर्फ हल्केबंदू	सदस्य	नानकपुर

(एक) लोक न्यास की उत्पत्ति, स्वरूप एवं उद्देश्य—

यह सर्व विदित है कि "श्री श्री 1008 श्री देव हनुमान जी महाराज मंदिर, लोक न्यास ग्राम नानकपुर " एक अति प्राचीन सार्वजनिक मंदिर है, इस मंदिर में प्राचीन समय से हिन्दू सनातन धर्मावलंबी सभी ग्रामवासी सार्वजनिक रूप से पुण्य अर्जन हेतु धार्मिक, पूर्त, नैतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय लोक हित के उद्देश्य से इस मंदिर में नैमित्यक पूजा-अर्चना, यज्ञ-हवन, कथा-पुराण, भजन-संकीर्तन, रामायण-पाठ इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान तथा श्रीरामनवमी, श्रीहनुमान जयंती, नवरात्रि, दीपावली, होली, झूलोत्सव, रक्षाबंधन, हरियाली तीज इत्यादि धार्मिक पर्व, त्यौहार, महोत्सव आदि सार्वजनिक रूप से आयोजित कर मनाते आ रहे हैं. उपरोक्त मंदिर ग्राम नानकपुर प.ह.नं. 24, दुलचीपुर रा.नि.मं. व तह. शाहगढ़, जिला सागर में ख.नं. 70 पर स्थित है, उपरोक्त मंदिर की आय का कोई स्रोत नहीं होने से एवं धार्मिक, सामाजिक अनुष्ठानों, गौशाला में होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु श्री हनुमान जी मंदिर, ग्राम नानकपुर के लिये मौजा ग्राम घुटरई प.ह.न. 24 दुलचीपुर रा.नि.मं. व तहसील शाहगढ़, जिला सागर में स्थित ख.नं. 90 रकबा 2.02 हेक्टे., ख.नं. 114 रकबा 2.42 हेक्टे. ख.नं. 70 रकबा 0.04 हेक्टे. कुल मेड़ 3, कुल रकबा 4.48 हेक्टे. भूमि श्री देव हनुमान जी मंदिर नानकपुर के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है जिसके प्रबंधक श्रीमान कलेक्टर महोदय सागर हैं. उक्त मंदिर सार्वजनिक है तथा पुण्यार्थ सार्वजनिक धार्मिक पूर्त, गौशाला, नैतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, बाग-बगीचा, कृषि आदि लोक हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस न्यास का पंजीयन कराया जा रहा है. श्री देव हनुमान जी मंदिर के नाम से उक्त भूमि में श्रीमान कलेक्टर महोदय सागर, संरक्षक/प्रबंधक होंगे.

—ऐसी सम्पत्ति के प्रत्येक वर्ग की अनुमानित मूल्य सहित जंगम संपत्ति—

चल-अचल संपत्ति की सूची (अ) चल संपत्ति तथा सूची (ब) अचल संपत्ति पृथक् से पृ. सं. (10), पृ. सं. (11) पर संलग्न है.

(क)—स्थावर सम्पत्ति के उस ग्राम या नगर जहां वह स्थित हो, नगरपालिका या सर्वेक्षण या खसरा क्रमांक क्षेत्रफल, निर्धारण और वह अधिकार जिस पर वह धारित हो, सम्पत्ति से संबंधित अधिकार अभिलेखों या नगरपालिका अभिलेखों की प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें, को भी दर्शाते हुए, विवरण—

(ख)—प्रत्येक स्थावर सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य जिसके साथ किसी विशेषज्ञ की मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न की जावे—

न्यास के आय साधन

वर्तमान में आय का कोई साधन नहीं है, भविष्य में संदर्भित भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने पर आय प्राप्त होगी जो कि अनुमानित 20,000/— रुपया अंकन बीस हजार रुपया प्रतिवर्ष हो सकती है.

—कुल वार्षिक औसत आय— भावी भविष्य में कृषि भूमि से अनुमानित 20,000/— रुपया अंकन बीस हजार रुपया प्रतिवर्ष होगी.

—वार्षिक औसत व्यय—(क) न्यासधारियों और प्रबंधक को दिए जाने वाले पारिश्रमिक पर (कुछ भी नहीं, अवैतनिक).

(ख) स्थापना और कर्मचारी वर्ग पर (वर्तमान में कुछ भी नहीं, भविष्य में कृषि भूमि पर कार्य अनुसार दिहाड़ी मजदूरी देय होगी).

(ग) धार्मिक उद्देश्य पर (वर्तमान में कुछ भी नहीं).

(घ) पुण्यार्थ उद्देश्यों पर (वर्तमान में कुछ भी नहीं).

(ड.) विविध मदों पर (वर्तमान में कुछ भी नहीं) .

सूची (अ) चल संपत्ति

क्र. (1)	चल संपत्ति (2)	लं. X चौ. / भार (3)	अनुमानित मूल्य (4)	अन्य विवरण (5)
1.	श्री देव हनुमान जी महाराज की पाशाण मूर्ति	3x2 फीट	11,000 / -रु.	
2.	श्री देव गणेश जी महाराज की पाशाण मूर्ति	1x2 फीट	11,000 / -रु.	
3.	श्री देव शंकर जी महाराज की पाशाण मूर्ति	2x3 फीट	21,000 / -रु.	
4.	श्री देव नंदी जी पाशाण मूर्ति	1x1 फीट	11,000 / -रु.	
5.	श्री देव राधाकृष्ण जी पाशाण मूर्ति	2x3 फीट	70,000 / -रु.	
6.	श्री देव लड्डू गोपाल जी पीतल मूर्ति	एक बीता प्रमाण	11,00 / -रु.	
7.	मुकुट 2 नग श्री राधाकृष्ण जी के	मनिहारी, मीना जड़े कपड़ा के	3,000 / -रु.	
8.	पीतल कलश 1 नग बड़ा पीतल कलश 11 नग छोटे	कुल भार 5 किलोग्राम कुल भार 3 किलोग्राम	5,850 / -रु. 3,421 / -रु.	
9.	रोल्ड-गोल्ड मनिहारी हार 2 नग श्री राधाकृष्ण जी के	कुल भार 50 ग्राम	1,400 / -रु.	
10.	श्री राधाकृष्ण जी पोशाक 2 नग	मीना जड़ित	2,000 / -रु.	
11.	कांसे की कटोरी 4 नग	कुल भार 200 ग्राम	1,200 / -रु.	
12.	तांबे के लोटा 1 नग	कुल भार 250 ग्राम	5,00 / -रु.	
13.	थाली कांसे की 1 नग	कुल भार 500 ग्राम	4,00 / -रु.	
14.	5 ग्लास, 4 जग, 4 थाली, 2 लोटा, 1 बाल्टी सभी स्टील के 1 डंका, 1 गंजी एल्यूमीनियम	कुल भार 2 किलोग्राम	1,000 / -रु.	
15.	गरुड घंटी पीतल की 1 नग आरती पीतल की 1 नग	कुल भार 200 ग्राम	3,00 / -रु.	
16.	लटकाने वाले घंटा पीतल के 5 नग छोटे बड़े	कुल भार 9 किलोग्राम	3,800 / -रु.	
17.	शंख 1 नग	500 ग्राम	2,00 / -रु.	
18.	झालर घंटा पीतल के 2 नग	3 किलोग्राम	1,300 / -रु.	
19.	तखत लकड़ी का	6X4 फीट	6,000 / -रु.	
20.	ढोलक 1 नग		1,000 / -रु.	
21.	तारे पीतल की 1 जोड़ी	100 ग्राम	5,00 / -रु.	
22.	झूला (पीतल+लकड़ी) 2 नग	100 ग्राम	3,00 / -रु.	
23.	टीन की पेट्टी 2 नग	10 किलोग्राम	2,100 / -रु.	
24.	स्पीकर सेट संपूर्ण यंत्र		16,000 / -रु.	
25.	विमान लकड़ी का 1 नग		4,000 / -रु.	
26.	चद्दर टीन शेड 10 नग	12x4 फीट	17,000 / -रु.	
	संपूर्ण चल संपत्तियों का कुल मूल्य		1,96,371 / -रु.	सभी का अनुमानित मूल्य

सूची (ब) अचल संपत्ति

क्र. (1)	अचल संपत्ति (2)	क्षेत्रफल/भार (3)	अनुमानित मूल्य (4)	अन्य विवरण (5)
1.	श्री गणेश जी मंदिर	5x11 फीट	1,00,000 /-रु.	अतिप्राचीन
2.	श्री राधाकृष्ण मंदिर	10x27 फीट	3,00,000 /-रु.	प्राचीन
3.	श्री शंकर जी मंदिर	10x12 फीट	2,50,000 /-रु.	प्राचीन
4.	श्री हनुमान जी मंदिर	5x11 फीट	1,00,000 /-रु.	प्राचीन
5.	धर्मशाला	12x27 फीट	6,00,000 /-रु.	
6.	कुआं	12x22 फीट	2,50,000 /-रु.	प्राचीन
7.	यज्ञशाला	25x25 फीट	25,000 /-रु.	प्राचीन
8.	बैठक चबूतरा	10x15 फीट	20,000 /-रु.	प्राचीन
9.	मंदिर प्रांगण फर्श पक्का	60x50 फीट	1,50,000 /-रु.	प्राचीन
10.	श्री तुलसाना	3x4 फीट	5,000 /-रु.	प्राचीन
11.	सामग्री कक्ष	3x10 फीट	10,000 /-रु.	
12.	भोजनशाला	12x12 फीट	80,000 /-रु.	
13.	कृषि भूमि असिंचित ख.नं. 90, 114	रकबा क्रमशः 2.02, 2.42 हेक्टेयर	8,36,000 /-रु.	
संपूर्ण अचल संपत्ति का			27,26,000 /-रु.	अनुमानित मूल्य

प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य:- (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना.

(ब) पिछले वर्ष का आय- व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना.

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना संस्था की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना.

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना.

(ई) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए.

(च) संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी.

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरिक नहीं की जाएगी.

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी, साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा.

ग्राम सभा के प्रस्ताव अनुसार श्री श्री 1008 श्री देव हनुमान जी महाराज मंदिर ग्राम नानकपुर का नवीन समिति का गठन किया जाना है, अतः उक्त संबंध में जिस किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. म्याद गुजरने पर प्रस्तुत आपत्ति पर किसी भी प्रकार से कोई विचार नहीं किया जावेगा.

इशतहार आज दिनांक 22 सितम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

शशि मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-705)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी, इन्दौर क्षेत्र, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश
जूनी, इन्दौर, दिनांक 3 सितम्बर 2021

फार्म चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

क्र.296—रीडर—1—2021.— श्री वासुपुज्य आगमोद्वारक जैन श्वेताम्बर तपागच्छ मुर्ति पूजक ट्रस्ट पता—326, आलोकनगर ग्रीन वेली, बी ब्लॉक के सामने, इन्दौर, की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति, जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह, अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल—चल सम्पत्ति का विवरण)

श्री वासुपुज्य आगमोद्वारक जैन श्वेताम्बर तपागच्छ मुर्ति पूजक ट्रस्ट पता—326, आलोकनगर, ग्रीन वेली, बी ब्लॉक के सामने, इन्दौर.

अचल सम्पत्ति : निरंक

चल सम्पत्ति : रुपये 11,000/— (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र)

आज दिनांक 3 सितम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-706)

जूनी, इन्दौर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

फार्म चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

क्र.437—रीडर—1—2021.— अर्थ संगीनी ट्रस्ट पता—163, आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति, जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह, अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल—चल सम्पत्ति का विवरण)

अर्थ संगीनी ट्रस्ट पता—163, आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर.

अचल सम्पत्ति : निरंक

चल सम्पत्ति : रुपये 11,000/— (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र)

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-706)

जूनी, इन्दौर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

फार्म चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

क्र.423-रीडर-1-2021.- सुशीलाबाई शिन्दे शैक्षणिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट पता- 22/3, मोती तबेला, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति, जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह, अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

सुशीलाबाई शिन्दे शैक्षणिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट पता- 22/3, मोती तबेला, इन्दौर.

अचल सम्पत्ति : निरंक

चल सम्पत्ति : रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र)

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

अंशुल खरे, रजिस्ट्रार.

(G-706)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगौन, मध्यप्रदेश
रा.प्र.क्र.004-बी-113(1)-2021-22.

(फॉर्म-4)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951, (क्रमांक 30-1951) की धारा-5(2) एवं
मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स 1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष पंजीयक, लोक न्यास.

चूंकि प्रार्थी " एस बी ई एम ट्रस्ट " तर्फे विकास पिता श्री राधेश्याम सोनी, पता गोल बिल्डिंग सराफा बाजार खरगौन, तहसील व जिला खरगौन मध्यप्रदेश व अन्य-6 द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4(2) के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग
1.	चल सम्पत्ति	निरंक	निरंक -
2.	अचल सम्पत्ति	निरंक	निरंक -

सत्येन्द्र सिंह, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-707)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, बडवाह, मध्यप्रदेश
प्र.क्र.0001-बी-113(1)-2021-22.

(फॉर्म-4)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951, (क्रमांक 30-1951) की धारा-5(2) एवं
मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स 1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष पंजीयक, लोक न्यास बडवाह.

चूंकि प्रार्थी श्री जगदीश चन्द्र पिता श्री मुलचन्द्र अग्रवाल, निवासी ग्राम करही, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन की ओर से " श्री सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट बागोद " ग्राम बागोद, तहसील बडवाह, जिला खरगौन द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निष्पत्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
1.	2	3.	4.	5.
1.	नगद	—	—	—
2.	अचल सम्पत्ति	ग्राम बागोद पटवारी हल्का नंबर-03 तहसील बडवाह जिला- खरगोन में स्थित भूमि सर्वे नंबर- 15/1 रकबा 2-494 हैक्टर व सर्वे नंबर-119/391 रकबा 0-486 हैक्टर	निरंक	निरंक

अनुकूल जैन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक.

(G-708)

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, अधिकारी, उज्जैन नगर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 11 अक्टूबर, 2021

प्रारूप-चार

नियम 5 (1) देखिये

सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिए.]

पंजीयक,

लोक न्यास,

उज्जैन जिला उज्जैन के समक्ष.

क्र.-एसडीएम नगर-रीडर-1-2021-H.N.907.- चूंकि आवेदक श्री विश्वकर्मा जांगीड मारवाडी सुतार समाज न्यास (ट्रस्ट) द्वारा अभिभाषक श्री यशवंत अग्निहोत्री, एडवोकेट द्वारा श्री विश्वकर्मा जांगीड मारवाडी सुतार समाज न्यास उज्जैन मध्यप्रदेश पंजीकृत कार्यालय 114, 115 भाटगली उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 11 नवम्बर 2021 को दोपहर 03.00 बजे स्थान कोठी पैलेस उज्जैन कक्ष क्रमांक 11 में विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करता हूँ.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उज्जैन नगर, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 11 नवम्बर 2021 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	:	“श्री विश्वकर्मा जांगीड मारवाडी सुतार समाज न्यास (ट्रस्ट)”
कार्यालय	:	114, 115 भाटगली, उज्जैन म.प्र.
अचल सम्पत्ति	:	वर्तमान में ट्रस्ट के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है.
चल सम्पत्ति	:	आवेदन में उल्लेखित चल सम्पत्ति का मूल्य 5000/- दर्शाया गया है.

संजीव साहू, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-709)

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2021

क्र.-परि.-2021-494.- कुसुम सागर मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., पथरगुवां पंजीयन क्रमांक 1414, दिनांक 10 मार्च 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया) में प्रशासक पदस्थ है, संस्था के प्रशासक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं कार्यालयीन रिकार्ड अनुसार संस्था गत वर्ष से अकार्यशील है संस्था का पट्टा कलेक्टर जिला छतरपुर के द्वारा आदेश दिनांक 1 अगस्त 2018 से संस्था को आवंटित कुसुम सागर तालाब का पट्टा अनुबंध के शर्त का उल्लंघन करने के कारण निरस्त किया जा चुका है. संस्था द्वारा उपविधि अनुरूप कार्य संचालन न करने एवं संस्था दो वर्ष से अधिक से अकार्यशील होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर 2021 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अशोक कुमार शुक्ल उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं छतरपुर कुसुम सागर मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या. पथरगुवां को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारी अधिनियम की धारा 70(1) के तहत श्री के. के. गुप्ता सहायक मत्स्य अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अशोक कुमार शुक्ल, उप पंजीयक.

(G-710)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 20 जुलाई 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापक-2021-क्यू- सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक-परिसमापक-2021-1070 उज्जैन दिनांक 2 जुलाई 2021 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है :-

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्र. एवं दिनांक (3)	परिसमापक का नाम/पद (4)
1	माँ दुर्गा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लेकोडा.	DR/UJN/2000/01-01-2015	श्रीमती स्वर्णलता दलाल (सह. निरीक्षक)
2	श्री महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नहारिया.	DR/UJN/2001/01-01-2015	श्रीमती स्वर्णलता दलाल (सह. निरीक्षक)
3	श्री गजेश्वर बीज उत्पादक सह. सं. मर्या., पिपलौदा द्वारकाधीश.	DR/UJN/2010/12-01-2015	श्रीमती स्वर्णलता दलाल (सह. निरीक्षक)
4	सद्गुरु बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भानबड़ोदिया.	DR/UJN/2201/21-09-2015	श्रीमती स्वर्णलता दलाल (सह. निरीक्षक)
5	शुभ साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	DR/UJN/1803/12-12-2012	श्रीमती स्वर्णलता दलाल (सह. निरीक्षक)
6	अवन्तिका महिला विकास सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	DR/UJN/1986/20-06-1998	श्रीमती स्वर्णलता दलाल (सह. निरीक्षक)

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैनिया.	DR/UJN/2244/20-08-2015	श्रीमती स्वर्णलता दलाल (सह. निरीक्षक)
8.	संत अगरदास साख सहकारी संस्था मर्या., कोकलखेड़ी.	DR/UJN/1637/09-02-2009	श्रीमती स्वर्णलता दलाल (सह. निरीक्षक)
9.	विकास बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टंकारिया पंथ.	DR/UJN/2130/04-08-2015	श्रीमती स्वर्णलता दलाल (सह. निरीक्षक)
10.	राधिका महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सरवना.	DR/UJN/1629/07-02-2004	श्रीमती स्वर्णलता दलाल (सह. निरीक्षक)
11.	जय श्री महाकाल बीज उत्पादक सह. सं. मर्या., सेमलिया नसद	DR/UJN/2016/12-01-2015	श्रीमती स्वर्णलता दलाल (सह. निरीक्षक)
12.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरनावदा.	DR/UJN/1910/04-12-2014	श्रीमती स्वर्णलता दलाल (सह. निरीक्षक)

अतः, मैं, श्रीमती स्वर्णलता दलाल, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा है वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारी संस्थाएं उज्जैन संभाग उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के 02 माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 20 जुलाई 21 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी है.

(G-711)

उज्जैन, दिनांक 4 अगस्त 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं उज्जैन 4 अगस्त 2021 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है :-

क्र	संस्था का नाम	पंजीयन क्र एवं दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	चेतना प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	DR/UJN/1772/ 24-02-2012	क्र-परि.-2021-1706 04-08-2021	श्रीमती स्वर्णलता दलाल (सह. निरीक्षक)
2.	सरिता प्राथमिक उपभोक्ता, भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	DR/UJN/1811/ 31-12-2014	क्र-परि.-2021-1707 04-08-2021	श्रीमती स्वर्णलता दलाल (सह. निरीक्षक)

(1)	(2)	(3)	(4)	
3.	श्री राम बीज सहकारी संस्था मर्यादित, तालोद, तह. उज्जैन, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2008/ 12-01-2015	क्र-परि.-2021-1708 04-08-2021	श्रीमती स्वर्णलता दलाल (सह. निरीक्षक)
4.	आनन्द बीज सहकारी संस्था मर्यादित, चंदेसरी जिला उज्जैन	DR/UJN/1986/ 01-01-2015	क्र-परि.-2021-1709 04-08-2021	श्रीमती स्वर्णलता दलाल (सह. निरीक्षक)

अतः, मैं, श्रीमती स्वर्णलता दलाल, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा है वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारी संस्थाएं, उज्जैन संभाग उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के 02 माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 04 अगस्त 21 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी है.

स्वर्णलता दलाल, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-711)

उज्जैन, दिनांक 04 अक्टूबर 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-क्यू.-2021.- सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र./दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नहारिया तराना, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2001/01-01-2015	1001/29-06-2021
2.	श्री माया महिला साख सहकारी संस्था मर्या., नागदा, तहसील नागदा.	DR/UJN/115/03-08-2009	1664/02-08-2021
3.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भटेरा.	DR/UJN/1836/12-12-2014	1657/02-08-2021
4.	जय चम्बल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परमारखेडी उज्जैन.	DR/UJN/2099/22-01-2015	1653/02-08-2021
5.	किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लक्ष्मीपुरा, उज्जैन.	DR/UJN/2018/12-01-2015	1068/02-07-2021

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	ब्रजराज बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ब्रजराजखेडी, लेकोडा, उज्जैन.	DR/UJN/2014/12-01-2015	1068 / 02-07-2021
7.	अवन्तिका इंदिरा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	DR/UJN/1486/30-06-1998	1068 / 02-07-2021
8.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोलगा, उज्जैन.	DR/UJN/1908/04-12-2012	1068 / 02-07-2021
9.	ऐंजिल प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	DR/UJN/1855/03-05-2013	1068 / 02-07-2021
10.	महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुसलपुर, उज्जैन.	DR/UJN/2128/04-08-2015	1068 / 02-07-2021
11.	रिद्धी-सिद्धी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टंकारिया काजी, बाढकुम्भेद, उज्जैन.	DR/UJN/2030/22-01-2015	1068 / 02-07-2021

अतः, मैं, डॉ. निधि भदौरिया, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचना पत्र प्रकाशित करती हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का भी कोई लेना-देना शेष निकल रहा हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण-पत्र सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित/सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 04 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

निधि भदौरिया, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-711)

उज्जैन, दिनांक 05 अक्टूबर 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्रं.-परि.-क्यू.-2021.-सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र./दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मॉ अंजनी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जलालखेडी, उज्जैन.	DR/UJN/2178/20-08-2015	1073 / 02-07-2021

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	गजानन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्याराघो, करोहन, उज्जैन.	DR/UJN/2140/04-08-2015	1073 / 02-07-2021
3.	चिंतामण जवासिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	DR/UJN/2283/18-11-2015	1073 / 02-07-2021
4.	उमिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाढकुम्भेद, उज्जैन.	DR/UJN/2019/12-01-2015	1073 / 02-07-2021
5.	मॉ उमिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोलासा, उज्जैन.	DR/UJN/1942/15-12-2014	1073 / 02-07-2021
6.	जय अम्बे बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बकानिया, उज्जैन.	DR/UJN/1975/30-12-2014	1073 / 02-07-2021
7.	मायानंद चैतन्य बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झिरोलिया, उज्जैन.	DR/UJN/1987/01-01-2015	1073 / 02-07-2021
8.	कोकलेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोकलाखेडी, उज्जैन.	DR/UJN/1988/01-01-2015	1073 / 02-07-2021
9.	क्षिप्रा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., फतेहाबाद, उज्जैन.	DR/UJN/2184/20-08-2015	1660 / 02-08-2021
10.	उज्जैन नगर कर्मकार संस्था मर्या., उज्जैन	DR/UJN/1693/19-06-2006	1695 / 03-08-2021
11.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., रेवारी	DR/UJN/2069/25-05-2015	1694 / 03-08-2021
12.	जय महाकाल परिवहन सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	DR/UJN/1673/28-04-2005	1693 / 03-08-2021
13.	बंगाली मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	DR/UJN/452/06-02-1980	1696 / 03-08-2021
14.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था नाहरखेडी	DR/UJN/190/13-11-2015	1713 / 09-11-2020
15.	दुग्ध सहकारी संस्था मउखेडी	DR/UJN/1865/27-09-2014	1713 / 09-11-2020

अतः, मैं, मोनिका सक्सेना, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचना-पत्र प्रकाशित करती हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष निकल रहा हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण-पत्र सहित मुझे कार्यालय उपपंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित/सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़े, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 05 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

मोनिका सक्सेना, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-711)

उज्जैन, दिनांक 21 सितम्बर 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्रं.-परि.-क्यू.-2021.-सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उपपंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./1076, उज्जैन, दिनांक 02 जुलाई 2021 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र./दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था चापानेर, तहसील खाचरौद.	824/23-12-1988	999 / 29-06-2021
2.	यथार्थ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बलेडी, बड़नगर.	2068/06-04-2015	974 / 24-06-2021
3.	श्री परशुराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पासलौद, दंगवाडा, बड़नगर.	1943/15-12-2014	974 / 24-06-2021
4.	सिद्धी विनायक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोडानी, उज्जैन.	2031/22-01-2015	974 / 24-06-2021
5.	जय श्री राम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोठडा, नवाखेडा, उज्जैन.	2047/02-02-2015	974 / 24-06-2021
6.	विजय बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बॉसखेडी, उज्जैन.	2029/22-01-2015	974 / 24-06-2021
7.	श्री पार्वती बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मंगरोला, उज्जैन.	2056/20-02-2015	974 / 24-06-2021
8.	देवकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोंदिया, उज्जैन.	2109/17-07-2015	974 / 24-06-2021
9.	माँ सृजन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुल्लापुरा, उज्जैन.	2057/20-02-2015	974 / 24-06-2021
10.	अनुभव रेडीमेड वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1609/30-03-2003	974 / 24-06-2021
11.	केसरी नंदन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ताजपुर, उज्जैन.	2044/28-01-2015	974 / 24-06-2021
12.	पटेल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बन्दरखॉ बेरसिया, उज्जैन.	2192/21-08-2015	974 / 24-06-2021
13.	अपूर्व बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नीलकंठ फतियाबाद.	2208/04-09-2015	974 / 24-06-2021

अतः, मैं, हेमलता चंदेल, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना देना शेष निकल रहा हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण-पत्र सहित मुझे कार्यालय उप उपजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित/सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 21 सितम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

हेमलता चंदेल, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-711)

उज्जैन, दिनांक 08 सितम्बर 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्रं.-परि.-क्यू.-2021.-सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप उपजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./1076, उज्जैन, दिनांक 02 जुलाई 2021 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र./दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भाण्डला, तहसील खाचरौद.	1014/28-08-1991	1076/02-07-2021
2.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिलवानिया, तहसील खाचरौद.	1851/19-03-2014	1076/02-07-2021
3.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरथुन, तहसील खाचरौद.	2020/12-01-2015	1076/02-07-2021
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुराडिया सांगा, तहसील खाचरौद.	1525/05-08-2000	1076/02-07-2021

अतः, मैं, बी. जी. व्यास, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचना पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना देना शेष निकल रहा हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण-पत्र सहित मुझे कार्यालय उप उपजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित/सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 08 सितम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

बी. जी. व्यास, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-711)

कार्यालय, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 19 अगस्त 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2021-क्यू.- सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन जिला उज्जैन के आदेश से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र.व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	देवकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काठबड़ौदा.	2132/17-09-2015	1066/02-07-2021
2.	बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सालाखेड़ी.	2134/04-08-2015	1066/02-07-2021
3.	मॉ ब्राम्हणी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सामानेरा.	761/06-04-1984	1066/02-07-2021
4.	श्री शिवशक्ति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या कायथा.	2017/12-01-2015	1066/02-07-2021
5.	श्री देवकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जवासिया कुमार.	2127/04-08-2015	1066/02-07-2021
6.	मॉ गायत्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुमराखेड़ा.	2125/04-08-2015	1066/02-07-2021
7.	जय भवानी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवली.	1956/22-12-2014	1066/02-07-2021
8.	श्री भोलेनाथ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कनार्दी.	2060/16-03-2015	1066/02-07-2021
9.	निर्मल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिरगोदा.	2139/04-08-2015	1066/02-07-2021
10.	मॉ ब्राम्हणी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छड़ावद.	2225/11-09-2015	1066/02-07-2021
11.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नाहरखेड़ी.	1901/13-11-2014	1066/02-07-2021
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निम्बोदा	657/16-05-1984	1066/02-07-2021

अतः, मैं, एन. एस. भाटी, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचना पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण-पत्र सहित मुझे कार्यालय उप उपजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाकर उक्त संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 23 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

एन. एस. भाटी, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी।

(G-712)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 16 अगस्त 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्रं.-परि.-2021-क्यू.-.-सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप उपजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन, के आदेश से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र.व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवासुरा	672/06-04-1989	978 / 25-06-2021
2.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पासलोद	2074/25-05-2015	978 / 25-06-2021
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मसवाड़िया	761/06-04-1984	978 / 25-06-2021
4.	बजरंग बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किठोरा	1952/22-12-2014	978 / 25-06-2021
5.	राजकुमार बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ईटावा.	1953/22-12-2014	978 / 25-06-2021
6.	केशव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आजंदा	1978/01-01-2015	978 / 25-06-2021
7.	चम्बल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमलावदाकलां.	2004/12-01-2015	978 / 25-06-2021
8.	बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिकली	2013/12-01-2015	978 / 25-06-2021
9.	माँ कालिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इंगोरिया.	2176/20-08-2015	1666 / 02-08-2021
10.	हनुमन्त बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कढ़ाई	2027/22-01-2015	1667 / 02-08-2021
11.	सार्थक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., असावता	2229/11-09-2015	1668 / 02-08-2021
12.	गीता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मौलाना	2034/22-01-2015	1691 / 03-08-2021

अतः, मैं, एन. पी. बहोरे, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचना पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना देना निकल रहा हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तके, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 16 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

एन. पी. बहोरे, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-713)

उज्जैन, दिनांक 04 अक्टूबर 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्रं.-परि.-क्यू.-2021.- सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन में लाने को आदेश क्र./दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दि हरिजन कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बड़नगर.	DR/UJN/780/27-10-1986	1969/21-09-2021
2.	राजपुत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	DR/UJN/1601/20-11-2008	1969/21-09-2021
3.	कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	DR/UJN/68/21-08-1979	1969/21-09-2021
4.	मंगलम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा.	DR/UJN/1414/21-08-1996	1969/21-09-2021
5.	विनोद मिल एम्पलाईज सहकारी साख संस्था मर्या., नागदा.	DR/UJN/4290/31-08-1989	1969/21-09-2021
6.	ग्रामोद्योग तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	DR/UJN/860/10-03-1959	1969/21-09-2021
7.	ग्रामीण तेलधानी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नरवर.	DR/UJN/232/25-01-1965	1969/21-09-2021

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	विधाता साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	DR/UJN/65/30-09-2003	1969 / 21-09-2021
9.	धनवर्षा परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	DR/UJN/118/03-10-2009	1969 / 21-09-2021
10.	राघवेन्द्र बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिम्बोदा.	DR/UJN/2228/11-09-2015	1969 / 21-09-2021
11.	सर्वकुटुम्ब बीज सहकारी संस्था मर्या., खरसोदकलां.	DR/UJN/2268/07-10-2015	1969 / 21-09-2021
12.	रविदास उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नानाखेडा.	DR/UJN/161/05-01-1963	1969 / 21-09-2021
13.	नूतन नागरिक साख सहकारी संस्था, उज्जैन	DR/UJN/01/07-09-1959	1969 / 21-09-2021
14.	आदर्श महिला सहकारी संस्था, बडनगर	DR/UJN/1219/09-08-1994	1969 / 21-09-2021
15.	नाकोडा साख सहकारी संस्था, महिदपुर	DR/UJN/1501/23-07-2012	1969 / 21-09-2021
16.	शास. कर्मचारी उपहार गृह प्रा. सह. उप. भण्डार मर्या., उज्जैन.	DR/UJN/238/16-03-1965	1968 / 21-09-2021
17.	अम्बिका बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., जवासिया सोलंकी, महिदपुर.	DR/UJN/2133/04-08-2015	1969 / 21-09-2021
18.	हरियाली बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मारुखेडा, महिदपुर.	DR/UJN/2167/20-08-2015	1969 / 21-09-2021
19.	श्री नाथ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शंकरखेडी, महिदपुर.	DR/UJN/2131/04-08-2015	1969 / 21-09-2021
20.	बडकेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झागरा, महिदपुर.	DR/UJN/2132/04-08-2015	1969 / 21-09-2021
21.	सोमेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तरनोद, महिदपुर.	DR/UJN/2175/20-08-2015	1969 / 21-09-2021
22.	बिलकेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुडी, महिदपुर.	DR/UJN/2186/20-08-2015	1969 / 21-09-2021
23.	उदयभारती बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेलाखेडा. महिदपुर	DR/UJN/2195/21-08-2015	1969 / 21-09-2021
24.	विकास बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आलाखेडा महिदपुर.	DR/UJN/2204/04-09-2015	1969 / 21-09-2021
25.	उत्तम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेडामदा.	DR/UJN/2205/04-09-2015	1969 / 21-09-2021
26.	श्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामगढ महिदपुर.	DR/UJN/140/13-06-2011	1969 / 21-09-2021
27.	सुरभी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., राघवी महिदपुर.	DR/UJN/2138/04-08-2015	1969 / 21-09-2021

(1)	(2)	(3)	(4)
28.	हरिजन सामुहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, महिदपुर.	DR/UJN/99/16-09-1969	1969 / 21-09-2021
29.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., राघवी	DR/UJN/516/30-02-1986	1969 / 21-09-2021
30.	जय भारत बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोदी.	DR/UJN/2209/14-09-2015	1969 / 21-09-2021
31.	लक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेडाखजुरिया.	DR/UJN/961/27-12-2014	1969 / 21-09-2021
32.	महाकालेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मकला.	DR/UJN/1967/22-12-2014	1969 / 21-09-2021
33.	जुनाखेडा हनुमान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुण्डली दौत्रु महिदपुर.	DR/UJN/1960/27-12-2014	1969 / 21-09-2021
34.	अक्षय बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कासोन.	DR/UJN/2290/11-02-2015	1969 / 21-09-2021
35.	आंजना बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोगापुर.	DR/UJN/2210/04-09-2015	1969 / 21-09-2021
36.	श्री राम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ईटावा.	DR/UJN/1974/20-12-2014	1969 / 21-09-2021

अतः, मैं, बी. एल. सोलंकी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचना पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना देना शेष निकल रहा हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण-पत्र सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित/सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 04 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

बी. एल. सोलंकी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-713)

उज्जैन, दिनांक 23 अगस्त 2021

क्रं.-परिसमापन-2021-क्यू-सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 530, दिनांक 05 मार्च 2021 से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र.व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सांवरिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नवादा	1962/27-10-2015	979 / 25-06-2021
2.	बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आक्याजागीर	2037/21-01-2015	979 / 25-06-2021
3.	बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मालीखेड़ा	1965/27-12-2015	979 / 25-06-2021
4.	बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूपेटा	2181/20-08-2015	979 / 25-06-2021
5.	बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुँ	2298/22-02-2016	979 / 25-06-2021
6.	श्री कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चन्दवासला.	1976/30-12-2014	979 / 25-06-2021
7.	श्री महादेव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवराखेड़ी बुजुर्ग.	2041/28-01-2015	1000 / 29-06-2021
8.	श्री कृष्ण प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्या., नागदा.	1584/16-11-2001	979 / 25-06-2021
9.	आदिवासी मालवा मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नागदा.	1066/01-10-1992	979 / 25-06-2021
10.	गायत्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खाचरौद.	999/08-04-1991	1002 / 29-06-2021

अतः, मैं, शान्तिलाल चौहान, सहकारी निरीक्षक सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 23 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

शान्तिलाल चौहान, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-713)

उज्जैन, दिनांक 13 अगस्त 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-क्यू.-2021.- सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक-परि.-1072 उज्जैन, दिनांक 2 जुलाई 2021 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र./दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री राम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूई तह. घट्टिया	DR/UJN/1949/19-12-2014	1071 / 02-07-2021
2.	माँ संतोषी माता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तुमडावदा, तह. घट्टिया	DR/UJN/1955/22-12-2014	1071 / 02-07-2021
3.	माँ अम्बिका बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., मालीखेडी, तह. घट्टिया	DR/UJN/1983/01-01-2015	1071 / 02-07-2021
4.	श्री राम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूदाहेडा, तह. घट्टिया	DR/UJN/2015/12-01-2015	1071 / 02-07-2021
5.	राजेश्वरी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुढा, तह. घट्टिया	DR/UJN/2173/20-08-2015	1071 / 02-07-2021
6.	बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमरपुरा, तह. घट्टिया	DR/UJN/2189/20-08-2015	1071 / 02-07-2021
7.	माँ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शंकरपुर, तह. घट्टिया	DR/UJN/2193/20-08-2015	1071 / 02-07-2021
8.	श्री धनलक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खजुरियासदर, तह. घट्टिया	DR/UJN/2110/17-07-2015	1071 / 02-07-2021
9.	मोहनपुरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोहनपुरा तह. घट्टिया	DR/UJN/1946/17-12-2014	1071 / 02-07-2021
10.	माँ आशापुरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालूहेडा, तह. घट्टिया	DR/UJN/1948/19-12-2014	1071 / 02-07-2021
11.	क्षिप्रा पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	DR/UJN/641/25-02-1997	1071 / 02-07-2021

अतः, मैं, सुरेन्द्र मालवीय, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 एवं म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष निकल रहा हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण-पत्र सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित/सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 13 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

सुरेन्द्र मालवीय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-713)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-क्यू.-2021.- सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र./दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सरवना उन्हेल, तह. नागदा	1926/04-12-2014	1656/02-08-2021
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मसवाडियाखालसा, तह. बडनगर	1844/19-03-2014	1655/02-08-2021
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोठडी, तह. बडनगर	2023/20-01-2015	1654/02-08-2021
4.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बंजारी तह. तराना	2279/12-11-2015	1703/03-08-2021
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आक्याजागीर, तह. खाचरौद	827/23-12-1988	1697/03-08-2021
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भिलसुडा, तह. नागदा	2024/22-01-2015	1701/03-08-2021

अतः, मैं, वीरधवल जडे, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 एवं म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष निकल रहा हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण-पत्र सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी

रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित/सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 1 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

वीरधवल जडे, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(G-714)

उज्जैन, दिनांक 23 अगस्त 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2021-क्यू.-01.- सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक परि.-2021-1065, उज्जैन, दिनांक 2 जुलाई 2021 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र./दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जय बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित चौरवासा.	2226/12-09-2015	1065/02-07-2021
2.	श्री कृष्ण सुदामा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित नारायणा.	2199/04-08-2015	1065/02-07-2021
3.	माँ बीजासन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित पलवा.	2039/22-01-2015	1065/02-07-2021
4.	बडेश्वरी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बोरखेड़ानाऊ.	2011/12-01-2015	1065/02-07-2021
5.	सिद्धेश्वरी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित जवासियापंथ.	2270/07-10-2015	1065/02-07-2021
6.	शेरपुर बालोदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बालोदा.	2049/02-02-2015	1065/02-07-2021
7.	हनुमान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित जोड़मालकखा.	2052/02-02-2015	1065/02-07-2021
8.	संजीवनी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित साखरिया.	1972/20-12-2014	1065/02-07-2021

अतः, मैं, विनोद रावल, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 एवं म. प्र. सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा-पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 23 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

विनोद रावल, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(G-714)

उज्जैन, दिनांक 13 अगस्त 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्रं.-परि.-क्यू.-2021.- सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक परि.-1072, उज्जैन, दिनांक 2 जुलाई 2021 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र./दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	माँ भवानी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुरारखेड़ी, तह. बडनगर	2169/20-08-2015	1661 / 02-08-2021
2.	लोकप्रिय बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैंसलाकलां, तह. बडनगर	2211/04-09-2015	1685 / 03-08-2021
3.	महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पलसोडा, तह. बडनगर	2212/04-09-2015	1689 / 03-08-2021
4.	धनलक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इंगोरिया, तह. बडनगर	2200/21-08-2015	1687 / 03-08-2021
5.	बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रुनिजा, तह., बडनगर	2269/07-10-2015	1684 / 03-08-2021
6.	श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बंगरेड, तह., बडनगर	2180/20-08-2015	1705 / 04-08-2021
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बलेडी	679/30-08-1984	1517 / 23-09-2020

अतः, मैं, बी. एस. पटेल, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 एवं म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष निकल रहा हो तो वे इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण-पत्र सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित/सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा-पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 13 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

बी. एस. पटेल, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(G-714)

उज्जैन, दिनांक 22 जुलाई 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-क्यू-2021.- सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञापित प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक परि.-1072, उज्जैन, दिनांक 2 जुलाई 2021 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र./दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जय महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोरखेडी, तह. महिदपुर	1979/01-01-2015	1074 / 02-07-2021
2.	गजानन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लम्बीखेडी, तह. महिदपुर	2040/28-01-2015	1074 / 02-07-2021
3.	मालीखेडी, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खुरचन्या, तह. महिदपुर	2136/04-08-2015	1074 / 02-07-2021
4.	माँ आशापुरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धनोरिया, तह. महिदपुर	2166/20-08-2015	1074 / 02-07-2021
5.	श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पेटलावद, तह. महिदपुर	2179/20-08-2015	1074 / 02-07-2021

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	प्रगतिशील बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डोंगराखेडा, तह. महिदपुर	2185/20-08-2015	1074 / 02-07-2021
7.	महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नलखेडा, तह. महिदपुर	2187/20-08-2015	1074 / 02-07-2021
8.	अटल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बिनपुर तह. महिदपुर	2197/21-08-2015	1074 / 02-07-2021
9.	माँ चामुण्डा सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था, उज्जैन	1559/05-05-2001	985 / 25-06-2021
10.	प्रगतिशील सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था, उज्जैन	1558/05-05-2001	985 / 25-06-2021
11.	विवेकानन्द सहकारी संस्था, उज्जैन	1010/19-06-1991	985 / 25-06-2021
12.	नर्मदा यातायात सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1028/04-01-1992	985 / 25-06-2021
13.	माधवी गृह निर्माण सहकारी संस्था, मर्या., उज्जैन	139/31-03-1979	985 / 25-06-2021
14.	कालीदास गृह निर्माण सहकारी संस्था, मर्या., उज्जैन	79/28-08-1981	985 / 25-06-2021
15.	धनंजय गृह निर्माण सहकारी संस्था, मर्या., रोहिडा	130/28-07-1987	985 / 25-06-2021
16.	महावीर गृह निर्माण सहकारी संस्था, मर्या., उज्जैन	70/02-02-2001	985 / 25-06-2021

अतः, मैं, आर. बी. कनकने, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 एवं म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष निकल रहा हो तो वे इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण-पत्र सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित/सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 22 जुलाई 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

आर. बी. कनकने, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(G-714)

कार्यालय, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 8 अक्टूबर 2021

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत)

क्र.-परि.-2021-1.-उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक-परि.-2021-60, दिनांक 14 अक्टूबर 2016 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिस. में लाने का आदेश क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., गोंदाखेड़ा, जिला सीहोर	1200/04-10-2002	60/14-01-2016
2.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्यादित, ताजपुरा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर.	1739/20-01-2014	403/22-04-2016
3.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्यादित, मालीपुरा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर.	1785/07-08-2014	786/26-08-2016

अतः मैं, सुधीर कैथवास, पद अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयवधि में मुझे कार्यालय, पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयवधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-715)

क्र.-परि.-2021-1.-उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक-परि.-2021-403, दिनांक 22 अप्रैल 2016 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिस. में लाने का आदेश क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., गोंदाखेड़ा, जिला सीहोर	1200/04-10-2002	60/14-01-2016
2.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्यादित, ताजपुरा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर.	1739/20-01-2014	403/22-04-2016
3.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्यादित, मालीपुरा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर.	1785/07-08-2014	786/26-08-2016

अतः मैं, सुधीर कैथवास, पद अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयवधि में मुझे कार्यालय, पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयवधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-715)

सुधीर कैथवास, अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक.

कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 5 अक्टूबर 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2021-1268.- नारायणपुर दुग्ध सहकारी समिति मर्या., नारायणपुर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1386, दिनांक 9 दिसम्बर 2011 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-899, दिनांक 16 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री एम.एल कोरी, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नारायणपुर दुग्ध सहकारी समिति मर्या., नारायणपुर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1386, दिनांक 9 दिसम्बर 2011 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-716)

क्र.-परिसमापन-2021-1269.- पगारा दुग्ध समिति सहकारी मर्या., पगारा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1423, दिनांक 2 मार्च 2012 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-896, दिनांक 16 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री एम.एल कोरी, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पगारा दुग्ध समिति सहकारी मर्या., पगारा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1423, दिनांक 2 मार्च 2012 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-716)

क्र.-परिसमापन-2021-1270.- दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढाना, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1340, दिनांक 4 दिसम्बर 2010 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-901, दिनांक 16 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री एम.एल कोरी, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढाना, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1340, दिनांक 4 दिसम्बर 2010 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-716)

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी सड़क, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 458, दिनांक 12 दिसम्बर 1989 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-716)

क्र.-परिसमापन-2021-1275.- तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 558, दिनांक 3 दिसम्बर 1993 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-752, दिनांक 24 अप्रैल 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि.खं. शाहगढ़ द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 558, दिनांक 3 दिसम्बर 1993 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-716)

क्र.-परिसमापन-2021-1276.- नयाखेड़ा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नयाखेड़ा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 582, दिनांक 2 नवम्बर 1994 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-954, दिनांक 31 मार्च 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री सी.एस. झा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नयाखेड़ा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नयाखेड़ा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 582, दिनांक 2 नवम्बर 1994 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-716)

क्र.-परिसमापन-2021-1277.- सिलारी तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिलारी, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 484, दिनांक 11 अक्टूबर 1990 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-954, दिनांक 31 मार्च 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड-देवरी द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सिलारी तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिलारी, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 484, दिनांक 11 अक्टूबर 1990 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-716)

क्र.—परिसमापन—2021—1279.— तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गौरझामर, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 468, दिनांक 13 दिसम्बर 1989 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—746, दिनांक 24 अप्रैल 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड—देवरी द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गौरझामर, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 468, दिनांक 13 दिसम्बर 1989 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-716)

क्र.—परिसमापन—2021—1280.— माते बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पड़रिया, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1513, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—913, दिनांक 16 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड—सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माते बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पड़रिया, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1513, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-716)

क्र.—परिसमापन—2021—1281.— बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., भैंसानाका, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1246, दिनांक 31 अक्टूबर 2007 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—198, दिनांक 11 फरवरी 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड—सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., भैंसानाका, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1246, दिनांक 31 अक्टूबर 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-716)

क्र.—परिसमापन—2021—1282.— किसान फल—सब्जी सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 380, दिनांक 22 मार्च 1984 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—2334, दिनांक 12 दिसम्बर 1994 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री सी.एस. झा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, किसान फल-सब्जी सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 380, दिनांक 22 मार्च 1984 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-716)

क्र.-परिसमापन-2021-1283.- गायत्री महिला विकास सहकारी समिति मर्या., पंतनगर सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1114, दिनांक 26 अप्रैल 2004 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-722, दिनांक 24 अप्रैल 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड-सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, गायत्री महिला विकास सहकारी समिति मर्या., पंतनगर सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1114, दिनांक 26 अप्रैल 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-716)

क्र.-परिसमापन-2021-1284.- रैकवार मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., बीलाडेम (शाहगढ़), विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 310, दिनांक 18 फरवरी 1978 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-140, दिनांक 23 जनवरी 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड-शाहगढ़ द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, रैकवार मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., बीलाडेम (शाहगढ़), विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 310, दिनांक 18 फरवरी 1978 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-716)

क्र.-परिसमापन-2021-1285.- हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या., बीलाग्राम, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 752, दिनांक 16 अगस्त 1999 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-773, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड-शाहगढ़ द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या., बीलाग्राम, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 752, दिनांक 16 अगस्त 1999 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-716)

परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

क्रमांक-परिसमापन-2021.

टीकमगढ़, दिनांक 6 सितम्बर 2021.

कारण बताओ सूचना-पत्र

प्रति,

श्री जगदीश प्रसाद खरे पुत्र श्री राजाराम खरे,
सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित, ददगांय,
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.).

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत]

उपरोक्त विषयांतर्गत उक्त संस्था वर्तमान में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके अंतर्गत बने नियम, 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य नहीं करने से निम्न प्रमुख कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित एवं आवश्यक है :-

1. संस्था पंजीयन की शर्तों का पालन नहीं कर पा रही है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
3. संस्था के संचालन में सदस्यों की रुचि नहीं है.
4. संस्था के पंजीयन उपरांत युक्ति-युक्त समय में अपना व्यवसाय नहीं किया है.
5. संस्था का पंजीकृत पते पर बोर्ड नहीं लगाया गया है.
6. संस्था नियमानुसार कार्यकारिणी कमेटी की बैठकें निर्धारित समय में बुलाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सदस्यता पंजी संधारित नहीं की गई है.
8. संस्था द्वारा अमानत प्राप्त एवं वापिसी पंजी संधारित नहीं की गई है.
9. संस्था द्वारा मजदूरी पंजी संधारित नहीं की गई है.
10. विधिवत् खर्च पंजी संधारित नहीं की गई है.
11. खर्च पंजी एवं व्हाउचर पंजी संधारित नहीं की गई है.
12. फसल विक्रय एवं फसल बंटवारा पंजी संधारित नहीं की गई है.
13. अंशपूजी पंजी संधारित नहीं की गई है.
14. सदस्यों को कार्य बंटवारा पंजी (भूमि आबंटन पंजी) संधारित नहीं की गई है.

अतः, मैं, एस.पी. कौशिक, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र देता हूँ कि क्यों न संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) की कार्यवाही की जावे. यदि इस संबंध में आपको अपना पक्ष समर्थन करने में कुछ कहना हो तो दिनांक 20 सितम्बर 2021 को कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़ में दोपहर 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत तिथि एवं समय पर आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि आपको अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है. तदनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत समिति को परिसमापित लिये जाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 6 सितम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-717)

क्रमांक-परिसमापन-2021.

टीकमगढ़, दिनांक 15 सितम्बर 2021

कारण बताओ सूचना-पत्र

प्रति,

श्री हरिकिशन रैकवार, अध्यक्ष,
सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित, दांतगोरा,
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.).

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत]

उपरोक्त विषयांतर्गत उक्त संस्था वर्तमान में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके अंतर्गत बने नियम, 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य नहीं करने से निम्न प्रमुख कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित एवं आवश्यक है :-

1. संस्था पंजीयन की शर्तों का पालन नहीं कर पा रही है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
3. संस्था के संचालन में सदस्यों की रुचि नहीं है.
4. संस्था के पंजीयन उपरांत युक्ति-युक्त समय में अपना व्यवसाय नहीं किया है.
5. संस्था का पंजीकृत पते पर बोर्ड नहीं लगाया गया है.
6. संस्था नियमानुसार कार्यकारिणी कमेटी की बैठकें निर्धारित समय में बुलाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सदस्यता पंजी संधारित नहीं की गई है.
8. संस्था द्वारा अमानत प्राप्त एवं वापिसी पंजी संधारित नहीं की गई है.
9. संस्था द्वारा मजदूरी पंजी संधारित नहीं की गई है.
10. विधिवत् खर्च पंजी संधारित नहीं की गई है.
11. खर्च पंजी एवं व्हाउचर पंजी संधारित नहीं की गई है.
12. फसल विक्रय एवं फसल बंटवारा पंजी संधारित नहीं की गई है.
13. अंशपंजी पंजी संधारित नहीं की गई है.
14. सदस्यों को कार्य बंटवारा पंजी (भूमि आबंटन पंजी) संधारित नहीं की गई है.

अतः, मैं, एस.पी. कौशिक, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र देता हूँ कि क्यों न संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) की कार्यवाही की जावे. यदि इस संबंध में आपको अपना पक्ष समर्थन करने में कुछ कहना हो तो दिनांक 29 सितम्बर 2021 को कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़ में दोपहर 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत तिथि एवं समय पर आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि आपने अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है. तदनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत समिति को परिसमापित लिये जाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 15 सितम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-717)

एस.पी. कौशिक, उप पंजीयक.

कार्यालय, वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वनमण्डल, शहडोल, मध्यप्रदेश

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण.-वन परिक्षेत्र अधिकारी, केशवाही ने अपने पत्र क्रमांक-441, दिनांक 3 मार्च 2021 से लेख कर सूचित किया गया कि बीट टेंघा का पर्सनल हैमर, बीट गार्ड, श्री अनिल वर्मा के द्वारा दिनांक 4 फरवरी 2021 को भ्रमण के दौरान झोला से कहीं गिर गया. काफी तलास करने पर हैमर कहीं नहीं मिला. श्री वर्मा, बीट गार्ड टेंघा द्वारा हैमर गुमने की प्राथमिक सूचना पुलिस चौकी, झींक बिजुरी में दिनांक 7 फरवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई. हैमर गुमने की सूचना का प्रतिवेदन वन परिक्षेत्र अधिकारी, केशवाही ने उप वन मंडल अधिकारी, जैतपुर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया. गुम हैमर की विस्तृत जाँच हेतु उप वन मंडल अधिकारी, जैतपुर को लेख किया गया. उप वन मंडल अधिकारी, जैतपुर ने अपने पत्र क्रमांक-1248, दिनांक 14 जुलाई 2021 से हैमर की शासकीय राशि वसूल करते हुये विलोपित करने की अनुशंसा की गई.


अतः उक्त हैमर न मिलने की स्थिति में यह आदेश पारित किया जाता है कि:-

आदेश

आ.क्र.-मा.चि.-525.

दिनांक 10 अगस्त 2021

वन वित्तीय नियम की धारा 124 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये निम्नांकित हैमर को अपलेखित किया जाता है तथा श्री अनिल वर्मा, बीट गार्ड, टेंघा से उक्त हैमर की शासकीय मूल्य रु. 500.00 (रुपये पाँच सौ) मात्र एकमुश्त उनके वेतन से वसूली के आदेश जारी करते हुये वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर शासकीय अभिलेख से अपलेखित किया जाता है.



श्री अनिल वर्मा, बीट गार्ड, टेंघा को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश वर्गीकरण (नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत भविष्य के लिए सचेत किया जाता है एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को निम्नांकित हैमर मिलता है, तो उसे निकटतम थाने या वन विभाग के किसी भी कार्यालय में जमा कर दें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति द्वारा निम्नांकित आकृति के हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार दण्डित कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा.

(G-718)

नेहा श्रीवास्तव, वन मण्डल अधिकारी.

वन संबंधी घोष-विक्रय

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश

क्र./रा.आ./3154

बालाघाट, दिनांक 30 सितम्बर 2021.

ईमारती काष्ठ, जलाऊ काष्ठ एवं बांस के परिवहन हेतु संक्षिप्त निविदा/नीलाम सूचना की विज्ञप्ति वर्ष 2021-22

बालाघाट वनवृत्त के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में उत्तर एवं दक्षिण उत्पादन वन मंडल, बालाघाट के कूपों में उत्पादित ईमारती काष्ठ/जलाऊ काष्ठ/बांस को निर्धारित डिपों तक परिवहन करने हेतु परिवहन समूहों की निविदा आमंत्रित की जाती है. निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्राप्त निविदाएं वनवृत्त कार्यालय, बालाघाट में ही निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी. निर्धारित कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

क्र.	निविदा चक्र	संबंधित उत्पादन वन मंडल कार्यालय (उत्तर एवं दक्षिण उत्पादन) वन मंडल में निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय	वृत्त कार्यालय, बालाघाट में निविदा खुलने की तिथि एवं समय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम निविदा	दिनांक 21-10-2021 को प्रातः 11.00 से दोपहर 2.00 बजे दिन तक.	दिनांक 21-10-2021 को 03.00 बजे दिन से
2.	द्वितीय निविदा	दिनांक 26-10-2021 को प्रातः 11.00 से दोपहर 2.00 बजे दिन तक.	दिनांक 26-10-2021 को 03.00 बजे दिन से
3.	तृतीय निविदा	दिनांक 02-11-2021 को प्रातः 11.00 से दोपहर 2.00 बजे दिन तक.	दिनांक 02-11-2021 को 03.00 बजे दिन से
4.	नीलाम	दिनांक 09-11-2021 को प्रातः 11.00 बजे से वृत्त कार्यालय, बालाघाट में	

निविदा की शर्तें, परिवहन समूहों की सूची, टेण्डर फार्म एवं निविदा से संबंधित अन्य जानकारीयां निविदा प्रकाशन होने के दिनांक से संबंधित उत्पादन वनमंडल के कार्यालय में कार्यालयीन दिवस व समय पर प्राप्त की जा सकती है. परिवहन समूहों की विस्तृत जानकारी तथा निविदा फार्म विभागीय वेबसाईट (www.mpforest.gov.in) पर भी उपलब्ध रहेगी. टेण्डर फार्म वेबसाईट से सीधे डाउनलोड करने पर रुपये 100/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/सी.डी.आर. जो संबंधित वनमण्डलाधिकारी, उत्तर एवं दक्षिण (उत्पादन) वनमंडल, बालाघाट के नाम पर देय होगा, जमा करना होगा. निविदाकार के द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में यह माना जावेगा कि निविदाकार को निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं. निविदाकार/बोलीदार को रुपये 3000/- (तीन हजार मात्र) सत्याकार EMD की राशि जमा करनी होगी.

निविदा/नीलाम के संबंध में अन्य जानकारी उत्तर उत्पादन वनमंडल, बालाघाट के कार्यालय दूरभाष क्र. 07632-241518 एवं दक्षिण उत्पादन वनमंडल, बालाघाट के कार्यालय दूरभाष क्र. 07632-241516 से भी लिया जा सकता है एवं विभागीय वेबसाईट (www.mpforest.gov.in) पर भी देखी जा सकती है.

संक्षिप्त निविदा शर्तें :-

1. प्रत्येक परिवहन समूहों के लिये पृथक्-पृथक् निविदाएं निर्धारित फार्म में जमा करना होगा.
2. प्रत्येक परिवहन समूहों के लिये निविदा के साथ सत्यकार के रूप में रु. 3000/- (तीन हजार) की राशि का डिमांड बैंक ड्राफ्ट/सी.डी.आर. संबंधित वनमंडलाधिकारी उत्तर एवं दक्षिण उत्पादन वनमंडल, बालाघाट के पक्ष में संलग्न करना होगा.
3. निविदाकार को प्रत्येक समूह में 1000-1000 घ.मी. ईमारती लकड़ी, 3000 जलाऊ चट्टे, 500 नो. टन. बांस के लिये कम से कम एक ट्रक परिवहन कार्य में लगाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा, जो निविदाकार के नाम पर पंजीकृत होना आवश्यक है. जिसके प्रमाण के लिये आर.टी.ओ. का पंजीयन तथा फिटनेश प्रमाण पत्र एवं वाहन के बीमा के कागजात संलग्न करना होगा.
4. परिवहनकर्ता का यह भी दायित्व होगा कि वह डिपो में परिवहन किये गये जलाऊ चट्टे निर्धारित आकार में बनाकर देना होगा.
5. परिवहनकर्ताओं को परिवहन समूह में अनुमानित मात्रा से अधिकतम 125 प्रतिशत तक वनोपज की मात्रा का परिवहन करना अनिवार्य होगा.
6. निविदा की विस्तृत शर्तों, परिवहन समूह की सूची तथा परिवहन कार्य से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी उत्तर एवं दक्षिण उत्पादन वनमंडल बालाघाट से किसी भी कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है. निविदाकार के द्वारा प्रत्येक निविदा के संबंध में दी गई जानकारी के आधार पर यह माना जावेगा कि निविदाकार को निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं.
7. निविदा में किसी प्रकार का वाद/विवाद होने की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम माना जावेगा.
8. परिवहनकर्ता हमाल रजिस्टर रखेंगे एवं हम्मालों की सूची संग्रहण करेंगे व सूची श्रम न्यायालय में देना होगा.
9. निविदाकार एक समूह के लिए पूरे म.प्र. में एक ही वाहन रखेगा.

(G-719)

नरेन्द्र कुमार सनोडिया, मुख्य वनसंरक्षक.

विज्ञापन**अन्य सूचनाएं****नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं, हबीब मोहम्मद खान पिता हसीब मोहम्मद खान बी-48, न्यू औकाफ कॉलोनी, बागफरत अफजा, ऐशबाग, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.) का निवासी हूँ. यह कि, मेरे पुत्र अबुज़र खान पिता हबीब मोहम्मद खान सेंट जोसेफ, को-एड स्कूल, ई-6, अरेश कालोनी, भोपाल में अध्ययनरत छात्र है. मेरे पुत्र की कक्षा 9 की सीबीएससी न्यू दिल्ली की अंकसूची में गलती से पिता का नाम हबीब मोहम्मद खान की जगह हबीब खान तथा माता का नाम अम्बरीन खान की जगह अम्बर हबीब लिखा गया है, जो कि पूर्णतः गलत और अपूर्ण नाम है. चूंकि पिता का नाम हबीब खान की जगह अंकसूची में सुधार करते हुए हबीब मोहम्मद खान और माता का नाम अम्बरीन खान लिखा जाये, क्योंकि मेरे समस्त दस्तावेजों में हबीब मोहम्मद खान तथा मेरी पत्नि के समस्त दस्तावेजों में अम्बरीन खान ही लिखा हुआ है. जिससे मेरे बेटे को भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

पुराना नाम

(हबीब खान)

नया नाम

(हबीब मोहम्मद खान)

(G-720)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दृगपाल सिंह पुत्र श्री अमरपाल सिंह वर्तमान और स्थायी पता 225, अहरीटोला, रामपुर चौरासी, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) अन्य पता- वार्ड नं.-02, एल.आई.जी. 37, मंदाकिनी

बिहार कॉलोनी, सिविल लाइन, सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) अपना नाम बदलकर सुशील सिंह किया है और आगे से सभी उद्देश्यों के लिये इसी नाम से जाना जाऊँगा.

पुराना नाम
(दृगपाल सिंह)

नया नाम
(सुशील सिंह)
पुत्र-अमरपाल सिंह
स्थायी पता-225, अहरीटोला,
रामपुर चौरासी, तहसील रघुराजनगर,
जिला सतना (म.प्र.)
अन्य पता- वार्ड नं.-02, एल.आई.जी. 37,
मंदाकिनी बिहार कॉलोनी, सिविल लाइन,
जिला सतना (म.प्र.)

(G-721)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स नगीना इंडेन क्षिप्राविहार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, देवास रोड, उज्जैन जिसके भागीदार भीमराज नगीना पिता श्री खेमराज नगीना एवं श्रीमती मीना नगीना पति श्री भीमराज नगीना हैं. इस फर्म का विघटन दिनांक 18-10-2021 को कर दिया गया है.

Nagian Indane,
(BHIMRAJ NAGINA)
Partner.

(G-722)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स विकॉर पेकेजिंग पंजीकृत साझेदारी फर्म प्लॉट नं. 129/6, पीथमपुर, सेक्टर-1, जिला धार (म.प्र.) जिसका पंजीकरण संख्या 03-27-03-00042-109 है. इस फर्म में दिनांक 10-07-2021 से इन नए पार्टनर्स का प्रवेश हुआ है- (1) श्री पंकज राधेश्याम चांडक, (2) श्री विनोद पालावत व (3) श्री हरीश चौधरी. व श्री पवन बाकलीवाल एवं श्री सपन बाकलीवाल तदानुसार ये दो निवृत्तमान भागीदार (श्री पवन बाकलीवाल एवं श्री सपन बाकलीवाल) उक्त भागीदारी फर्म के भागीदार नहीं हैं. इस प्रकार अब श्री पंकज राधेश्याम चांडक, श्री विनोद पालावत व श्री हरीश चौधरी ही उपर्युक्त फर्म के भागीदार हैं, तो सभी संबंधित को सूचित होंगे.

मै. पूर्णागिरी फूड इंडस्ट्रीज,
(पंकज राधेश्याम चांडक),
(विनोद पालावत),
(हरीश चौधरी),
पार्टनर्स,

(G-723)

Notice

U/s. 72 of the Indian Partnership Act, 1932

Notice is hereby given that the firms "M/S Khilan Engineering Works" of Bhopal vide Registration No. 01-01-01-0270-2019, 2019-2020, dated 30th October 2019 undergone the following changes :-

That the partnership business styled as "M/S Khilan Engineering Works" is dissolved as on 01-10-2021 and the land, building and plant & machinery of the firm will be distributed between the partners equally, and it has been agreed by the parties to the said deed that all the assets & liabilities of the firm except land, building and plant & machinery as on 01-10-2019 taken over by Smt. Krishna Parihar and she is to authorized to use the firm name and to carry on the business as a sole proprietor of the said business w.e.f. 01-10-2021 if any amount due to or due from outgoing partner will be paid or received by the Smt. Krishna Parihar. as per convenience of all the partners.

"M/S Khilan Engineering Works"
(Krishna Parihar)
Partner.

(G-724)

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2021—कार्तिक 7, शक 1943

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)